रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 514] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 12, 1987/आश्विन 20, 1909
No. 514] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 1987/ASHVINA 20, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 1987

अधिसूचना

का०आ० 899 (अ).—मद्रास गैर पंजीकृत डाक जनरल पूल श्रमिक (रोजगार का विनियमन) की प्रारूप स्कीम 1987 का निम्नलिखित मसौदा, जिसे केन्द्र सरकार डाक श्रमिक (रोजगार का विनियमन) अधिनियम 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव है, उन सभी व्यक्तियों के लिए जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार प्रकाशित की जाती है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदे पर, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा ।

2. किसी व्यक्ति से उक्त अवधि के अंदर प्राप्त होने वाली आपत्तियों अथवा सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

मसौदा स्कीम

1. लघु शीर्ष एवं प्रारंभ : यह स्कीम मद्रास गैर पंजीकृत डाक जनरल पूल श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1987 कही जाएगी (आगे इसे "स्कीम" कहा गया है) ।

यह सरकारी राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. उद्देश्य और प्रवर्तन :

(1) (i) स्कीम के उद्देश्य—श्रमिकों की सूची में उपलब्ध ऐसे श्रमिकों की पर्याप्त संख्या रखकर शिड्यूल 1 में दर्शाए गए गोदी सामान्य पूल श्रमिकों के लिए (1) रोजगार की अधिकाधिक नियमितता सुनिश्चित करना ।

(ii) गोदी कार्य में निष्पादन कार्यकुशलता और उत्पादकता के संतोषजनक स्तरों को प्राप्त करना तथा प्रलेखन में यथार्थता लाना ।

(2) स्कीम मद्रास पत्तन से संबंधित है और शिड्यूल 1 में निर्दिष्ट गोदी सामान्य पूल श्रमिकों के वर्गों और उनके द्वारा किए गए काम के विवरण पर लागू होती है, जैसा कि शिड्यूल 2 में निर्दिष्ट किया गया है ।

बशर्ते कि यह स्कीम ऐसे किसी श्रमिक पर तब तक लागू नहीं होगी जब तक उसे नियुक्त नहीं किया जाता अथवा सामान्य पूल श्रमिक के रूप में रोजगार के लिए उसकी आवश्यकता न हो।

(3) इस स्कीम का कोई भी अंश भारतीय नौ सेना के किसी जहाज अथवा रक्षा प्राधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित हैंडलिंग के लिए घोषित कार्गो पर लागू नहीं होगा।

(4) इस स्कीम का कोई भी अंश पतन में चिपिंग और पेंटिंग कार्य में लगे किसी श्रमिक पर लागू नहीं होगा।

3. परिभाषाएं :

इस स्कीम में जब तक विषय अथवा संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो—

(क) "अधिनियम" का अर्थ है गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9);

(ख) "प्रशासनिक निकाय" का अर्थ है अनुच्छेद 5 के तहत नियुक्त प्रशासनिक निकाय;

(ग) "बोर्ड" का अर्थ है अधिनियम के तहत गठित मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड;

(घ) "अध्यक्ष" का अर्थ है बोर्ड का अध्यक्ष;

(ङ) "उपाध्यक्ष" का अर्थ है मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड का उपाध्यक्ष;

(च) "गोदी नियोक्ता" का अर्थ है वह व्यक्ति जो सूचीबद्ध गोदी समान्य पूल श्रमिक नियुक्त करता है अथवा जिसे नियुक्त करना होता है और जिसमें नौवहन कम्पनियों अथवा स्टीमर एजेंटों अथवा स्टीवडोर नियोक्ता अथवा ठेकेदार अथवा ऐसे नियोक्ताओं का एक समूह शामिल है;

(छ) "गोदी कार्य" का अर्थ है उन स्थानों अथवा परिसरों में कार्य करना जिनसे स्कीम का संबंध है, सामान्यतः यह कार्य उन श्रेणियों अथवा विवरणों के सूचीबद्ध गोदी सामान्य पूल श्रमिकों द्वारा किया जाता है जिन पर यह स्कीम लागू होती है;

(ज) "नियोक्ता" का अर्थ है स्कीम के तहत रखी जाने वाली गोदी नियोक्ताओं की सूची;

(झ) "सामान्य पूल" का अर्थ है सूचीबद्ध गोदी प्राप्ति लिपिक, गोदी पर्यवेक्षक, रिगर फोरमैन और सामान्य प्रयोजन मजदूर का एक पूल जो काम के लिए उपलब्ध होते हैं और जो सूचीबद्ध नियोक्ता अथवा नियोक्ताओं के एक समूह के पास मासिक श्रमिकों के रूप में थोड़े समय के लिए रोजगार में नहीं होते हैं;

(ञ) "श्रमिक अधिकारी" का अर्थ है बोर्ड द्वारा अनुच्छेद 13 के तहत नियुक्त श्रमिक अधिकारी;

(त) "सूचीबद्ध श्रमिक" का अर्थ है गोदी प्राप्ति लिपिक, गोदी पर्यवेक्षक, रिगर फोरमैन और सामान्य प्रयोजन मजदूर श्रेणी का गोदी श्रमिक जिसका नाम थोड़े समय के लिए प्रशासनिक निकाय द्वारा रखे जाने वाले सूचीबद्ध श्रमिकों के रिकार्ड में दर्ज किया जाता है;

(थ) "सूचीबद्ध नियोक्ता" का अर्थ है शिपिंग कम्पनी अथवा शिपिंग एजेंट अथवा स्टीवडोर नियोक्ता अथवा ठेकेदार अथवा सूचीबद्ध गोदी प्राप्ति लिपिक, गोदी पर्यवेक्षक, रिगर फोरमैन और सामान्य प्रयोजन मजदूर के ऐसे नियोक्ताओं का समूह जिनका नाम थोड़े समय के लिए नियोक्ताओं की सूची में दर्ज किया गया हो;

(द) "सूची अथवा रिकार्ड" का अर्थ है गोदी प्राप्ति लिपिक गोदी पर्यवेक्षक, रिगर फोरमैन और सामान्य प्रयोजन मजदूरों की सूची अथवा रेकार्ड जिसे स्कीम के तहत रखा जाता है;

(ध) "मासिक श्रमिक" का अर्थ है सूचीबद्ध गोदी प्राप्ति लिपिक और गोदी पर्यवेक्षक जिसे सूचीबद्ध नियोक्ता अथवा ऐसे नियोक्ताओं के एक समूह द्वारा संविदा के तहत मासिक आधार पर लगाया जाता है जिसकी सेवा समाप्त करने के लिए किसी भी पक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देना होता है;

(न) "कार्मिक अधिकारी" का अर्थ है बोर्ड द्वारा अनुच्छेद 6 के तहत नियुक्त कार्मिक अधिकारी;

(प) "नियमावली" का अर्थ है गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) नियमावली, 1962;

(फ) "पोत" का अर्थ है समुद्रगामी कार्गो पोत अथवा जहाज जिसका ग्रास रजिस्टर्ड टनेज 350 टन से कम नहीं है अथवा लैश बार्जेज लैश जहाज से डिस्चार्ज किए जाते हैं।

(ब) "सप्ताह" का अर्थ है सप्ताह के किसी दिन की मध्य रात्रि से शुरू होकर आगामी उसी दिन की मध्य रात्रि को समाप्त होने वाली अवधि।

4. बोर्ड का गठन :

बोर्ड का गठन गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) नियमावली, 1962 के नियम 3 से 7 के अनुसार किया जाएगा।

5. प्रशासनिक निकाय :

(1) केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्कीम के दिन-प्रति-दिन का प्रशासन चलाने के प्रयोजनार्थ प्रशासनिक निकाय के रूप में मद्रास स्टीवडोर्स एसोसिएशन अथवा कोई अन्य प्राधिकरण नियुक्त कर सकती है।

(2) प्रशासनिक निकाय बोर्ड और अध्यक्ष के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में होगा और अनुच्छेद 12 और 45 के उपबन्धों के अनुसार स्कीम के दिन-प्रति-दिन के प्रशासन का कार्य करेगा।

(3) केन्द्र सरकार पर्याप्त कारण होने पर उप खण्ड (1) के तहत नियुक्त किसी प्रशासनिक निकाय को हटा सकती है।

परन्तु कि प्रशासनिक निकाय को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसकी बात सुनने के लिए उसे पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता।

6. कार्मिक अधिकारी, अन्य अधिकारी और स्टाफ-बोर्ड कार्मिक अधिकारी ऐसे, अन्य अधिकारियों और स्टाफ को नियुक्त करेगा और उन्हें वेतन एवं भत्ते देगा तथा सेवा शर्तें निर्धारित करेगा जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

परन्तु कि ऐसे किसी पद का सृजन नहीं किया जाएगा जिसका अधिकतम मासिक वेतन भत्तों को छोड़ कर 2000 रु० और अधिक हो और बोर्ड द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना ऐसे पद पर नियुक्ति नहीं की जाएगी।

इसके अलावा यह भी शर्त है कि अवकाश रिक्ति पर किसी नियुक्ति जो 3 माह से अधिक की अवधि की न हो, उसके लिए केन्द्र सरकार की संस्वीकृति आवश्यक नहीं होगी।

7. बोर्ड के कार्य :—(1) बोर्ड स्कीम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे उपाय करेगा जिन्हें वह वांछनीय समझे जिनमें निम्नलिखित बातों के लिए उपाय करने शामिल है :—

(क) सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिकों अर्थात गोदी प्राप्ति लिपिक पर्यवेक्षण श्रमिको, रिगर फोरमैन और सामान्य प्रयोजन मजदूरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ताकि इन श्रमिकों को पूरा और समुचित उपयोग हो सके और कुशल कार्यकरण के लिए समुचित पर्यवेक्षण और सही प्रलेखन हो सके और जहाजों का तेजी से और किफायती ढंग से टर्न राउन्ड सुकर हो सके तथा पत्तन के माध्यम से माल का तेजी से ट्रांजिट हो सके ;

(ख) विभिन्न श्रेणियों के तहत सूचीबद्ध किए जाने वाले श्रमिकों अर्थात मासिक श्रमिकों और सामान्य पूल श्रमिकों की संख्या केन्द्र सरकार के अनुमोदन से, प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत अपेक्षित संख्या का निर्धारण करने के बाद नियत करना, बढ़ाना, अथवा घटाना ;

(ग) भर्ती और प्रवेश को विनियमित करना और शिड्यूल 1 में निर्दिष्ट सामान्य पूल श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों का स्कीम से अलग करना और ऐसे श्रमिकों को सूचीबद्ध नियोक्ताओं को आवंटित करना ;

(घ) सूचीबद्ध नियोक्ताओं और सामान्य पूल श्रमिकों की समय-समय पर सूचियों अथवा अभिलेखों में संख्या का निर्धारण करना और समीक्षा करते रहना और ऐसे किसी सूची अथवा अभिलेख में उनकी संख्या में की जाने वाली बढ़ोत्तरी अथवा कमी की समीक्षा करना, यदि उक्त समीक्षा प्रचालनों में बेहतर कार्यकुशलता और किफायत के लिए आवश्यक हो;

(ङ) सूचीबद्ध नियोक्ताओं की सूचियां रखना उनका समायोजन करना और रख-रखाव करना, उनमें किसी सूचीबद्ध नियोक्ता का नाम दर्ज करना अथवा पुनः दर्ज करना और जहां ऐसी परिस्थितियां हों किसी सूचीबद्ध नियोक्ता का नाम या तो उसके अनुरोध पर अथवा स्कीम के उपबन्धों के अनुसार सूची से हटाना;

(च) समय-समय पर सूचीबद्ध पूल श्रमिकों की सूचियां अथवा अभिलेखों को रखना, उनका समायोजन करना और रख-रखाव करना जो भी आवश्यक हो, इसमें ऐसी सूची अथवा सामान्य पूल श्रमिक अभिलेख शामिल है जो गोदी कार्य के लिए अस्थायी तौर पर उपलब्ध न हों और जिनकी अनुपस्थिति प्रशासनिक निकाय द्वारा अनुमोदित कर दी गई हो और जहां परिस्थितियों को ऐसी समीक्षा हो, किसी सामान्य पूल श्रमिक का नाम, या तो उसके अनुरोध पर अथवा स्कीम के उपबन्धों के अनुसार, किसी सूची अथवा अभिलेख से हटाना;

(छ) सभी सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिकों को प्रशासनिक निकाय के परामर्श से बोर्ड द्वारा निर्धारित श्रेणियों में नियत करना और पुनः नियत करना और उसके बाद प्रशासनिक निकाय अथवा सामान्य पूल श्रमिकों के आवेदन पर सामान्य पूल श्रमिकों के समूहीकरण की समीक्षा करना ;

(ज) स्कीम शुरू करने के लिए सूचीबद्ध नियोक्ताओं पर अंशदान लगाना और वसूल करना;

(झ) स्कीम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रावधान बनाना ;

(ञ) सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिकों की भविष्य निधि, ग्रेच्युटी निधि और सामान्य पूल तथा मासिक श्रमिकों दोनों के लिए विशिष्ट प्रयोजनार्थ सृजित ऐसी ही अन्य निधियों का रख-रखाव करना और सभी सूचीबद्ध नियोक्ताओं से अनुच्छेद 55 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निधियों के लिए उनके अंशदान की वसूली करना ;

(ट) विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों की परस्पर परिवर्तनीयता को सुनिश्चित करना और स्कीम की अधिसूचना जारी होने की तारीख को और उसके बाद समय-समय पर उपलब्ध श्रमिक रोजगार के अवसरों के संबंध में श्रमिकों की उपयुक्त भर्ती निर्धारित करना;

(ठ) नए सूचीकरण के समय पैनिंग स्कीम को अधिक से अधिक लचीला बनाकर और यथासंभव श्रमिकों को लगाकर श्रेणियों की संख्या प्रतिबंधित करना;

(द) धन उधार लेना अथवा इकट्ठा करना और डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियां जारी करना और किसी कर्ज अथवा दायित्व को पूरा करने के लिए बोर्ड की संपूर्ण अथवा आंशिक सम्पत्ति को रेहन रखना।

(2) इस स्कीम के तहत सभी स्रोतों से होने वाली बोर्ड की आय और सम्पत्ति स्कीम के उद्देश्यों के लिए ही लगाई जाएगी जिसमें सामान्य पूल श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रशिक्षण और कल्याण संबंधी उपाय शामिल है (इसमें सामान्य पूल श्रमिकों तथा प्रशासनिक निकाय के कर्मचारियों के ही लाभ के लिए बनाई गई कोआपरेटिव सोसायटियों को ऋण देकर अथवा अन्य तरीके से सहायता करना भी शामिल है) और उसके किसी भी अंश का डिविडेंड, बोनस अथवा किसी अन्य तरीके से लाभ देकर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बोर्ड के सदस्यों को भुगतान अथवा स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि इसमें निहित प्रशासनिक निकाय के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी अथवा बोर्ड के किसी सदस्य द्वारा की गई बोर्ड की वास्तविक सेवाओं के बदले उसे उपयुक्त और समुचित पारिश्रमिक एवं खर्चों के भुगतान पर रोक नहीं होगी और न ही बोर्ड के किसी सदस्य द्वारा उधार दी गई राशि पर उपयुक्त दर पर ब्याज के भुगतान अथवा उसके द्वारा किराए पर दिए गए भवन के लिए उसे उपयुक्त और समुचित किराया लेने और बोर्ड तथा प्रशासनिक निकाय के स्टाफ के लिए किन्हीं कल्याणकारी कामों पर खर्च करने से रोक नहीं होगी।

(3) बोर्ड स्कीम के प्रचालन की लागत और स्कीम के अंतर्गत सभी प्राप्तियों और खर्चों का समुचित लेखा रखेगा और 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के दौरान स्कीम के कार्यकरण संबंधी एक वार्षिक रिपोर्ट और साथ में परीक्षित तलन-पत्र प्रतिवर्ष 1 अप्रैल के बाद यथाशीघ्र और 31 अक्तूबर तक केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगा और बोर्ड की बैठकों की कार्यवाहियों की प्रतियां भी प्रस्तुत करेगा।

8. बैठक में बोर्ड के दायित्व और कर्तव्य :

बैठक में बोर्ड नीति संबंधी सभी मामलों के लिए उत्तरदायी होगा और विशेष रूप से :—

(क) केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से—

(i) सूचीबद्ध करने से पहले सूचीबद्ध किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या, प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत अपेक्षित संख्या का निर्धारण करने के बाद निश्चित करना,

(ii) सूचियों की आवधिक समीक्षा करने के बाद समय-समय पर यथा आवश्यक सूची में किसी श्रेणी के श्रमिकों की संख्या बढ़ाना अथवा घटाना,

(iii) किसी श्रेणी के श्रमिकों के सूचीबद्ध नियोक्ताओं निर्दिष्ट संख्या को निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत अस्थायी सूचीकरण को स्वीकृति देना।

(ख) अध्यक्ष की सिफारिश पर नए नियोक्ताओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करना;

(ग) स्कीम के तहत अपेक्षित प्रपत्रों, अभिलेखों, रजिस्टरों विवरणों और ऐसी ही अन्य चीजें निर्धारित करना ;

(घ) मजदूरी, भत्ते, छुट्टी नियम तथा अन्य सेवा सूचीबद्ध श्रमिकों की शर्तें निर्धारित करना और वार्षिक समीक्षा के बाद एक महीने में गारंटीशुदा मजदूरी का पुनः निर्धारण करना ;

(ङ) स्कीम के खर्च वहन करने के लिए उप अनुच्छेद 34 (1) के अंतर्गत लेवी की दर अथवा अन्य प्रशासनिक प्रभारों की दर आवश्यकतानुसार निर्धारित करना ;

(च) अनुच्छेद 35 के तहत समितियां नियुक्त करना, समाप्त करना अथवा इन्हें पुनर्गठित करना ;

(छ) वार्षिक बजट को संस्वीकृत करना ;

(ज) जहां आवश्यक हो कार्मिक अधिकारी और श्रम अधिकारी की नियुक्ति केन्द्र सरकार के अनुमोदन से करना :

(झ) अनुच्छेद 6 के उपबंधों के अनुसार पदों के सृजन को स्वीकृति देना और ऐसे पदों पर नियुक्तियां करना ;

(ञ) शिड्यूल 1 में किसी परिवर्तन के बारे में केन्द्र सरकार को सिफारिशें करना ;

(ट) स्कीम में किसी संशोधन के बारे में केन्द्र सरकार को सिफारिशें करना,

(ठ) जिन मामलों में संबंधित पक्षों द्वारा केन्द्र सरकार से अधिनिर्णय के लिए अनुरोध किया गया हो, उन मामलों में विवाद को निपटाने के लिए प्रयास करना और ऐसे प्रयासों के परिणामों की सूचना उस सरकार को भेजना ;

(ड) ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक एवं इसके सहयोगी बैंकों में खाते खोलने की स्वीकृति देना जिसके लिए बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया हो और उन व्यक्तियों द्वारा लेखों के संचालन की स्वीकृति देना जिसके लिए समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गए हों ;

(ढ) शिड्यूल 2 में निर्दिष्ट श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों के कर्तव्यों में ऐसे कार्यों को जोड़ना और उनमें फेर बदल करना जिन्हें आवश्यक समझा गया हो ।

9. वार्षिक अनुमान :

(1) अध्यक्ष प्रतिवर्ष फरवरी में समाप्त होने वाली विशेष बैठक में स्कीम के अनुच्छेद 12 के मद (बी) और (आई) के तहत प्रशासनिक निकाय से प्राप्त 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वर्ष के वार्षिक बजट को बोर्ड के समक्ष ऐसे ब्यौरों और प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा जिसे बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करे ।

(2) बोर्ड के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत अनुमान पर बोर्ड इसके प्रस्तुत किए जाने के चार सप्ताह के अंदर विचार

करेगा, उसे बिना बदले अथवा ऐसे फेरे-बदल के साथ जिसे वह उचित समझे, संस्वीकृत करेगा ।

10. अध्यक्ष के दायित्व और कर्तव्य :

(1) अध्यक्ष को स्कीम के दिन-प्रति दिन के प्रशासन से संबंधित सभी मामलों पर पूर्ण प्रशासनिक और कार्यकारी अधिकार होंगे और विशेष रूप में—

(क) यह सुनिश्चित करना कि श्रमिकों की सूचियों के समायोजन के संबंध में बोर्ड के निर्णयों को तेजी से लागू किया जाए,

(ख) (1) प्रशासनिक निकाय के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करना और उस पर नियंत्रण करना,

(2) यदि उसे किन्हीं अनियमितताओं का पता चले अथवा उसके ध्यान में लाई जाएं तो उन पर उपयुक्त कार्रवाई करना,

(ग) यह सुनिश्चित करना कि सूचीबद्ध नियोक्ताओं द्वारा उनके काम पर लगाए गए श्रमिकों की पर्याप्त देखभाल की जाती है,

(घ) यह सुनिश्चित करना कि श्रमिकों के स्थानांतरण और पदोन्नति के संबंध में स्कीम के प्रावधानों का पालन किया जाता है,

(ङ) जब भी अपेक्षित हो मेडिकल बोर्ड गठित करना,

(च) यह सुनिश्चित करना कि गोदी नियोक्ताओं को सूचीबद्ध करने के लिए स्कीम में निर्धारित शर्तों का उनके द्वारा पालन किया जाता है,

(छ) यह सुनिश्चित करना कि स्कीम के तहत निर्धारित सभी प्रपत्रों, रजिस्टरों, सूचनाओं और दस्तावेजों का समुचित रख-रखाव किया जाता है,

(ज) ऐसे पदों के सृजन को अनुच्छेद 8 के उप अनुच्छेद (आई) बोर्ड के अधिकारों को प्रभावित किए बिना संस्वीकृति देना जिनका अधिकतम वेतन भत्तों को छोड़कर एक हजार नौ सौ तीस रुपए प्रतिमाह तक हो और ऐसे पदों पर नियुक्तियां करना,

(झ) स्कीम के प्रावधानों के अनुसार श्रमिकों और नियोक्ताओं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करना,

(ञ) अनुच्छेद 31 के तहत प्रति श्रमिक, प्रति सप्ताह अथवा प्रतिमाह शिफ्टों की अधिकतम संख्या में छूट देना और ऐसे मामलों की सूचना बोर्ड को देना,

(त) जब आवश्यक हो गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) नियमावली, 1962 के नियम 5 के तहत केन्द्र सरकार को रिपोर्ट भेजना,

(थ) सूचीबद्ध श्रमिकों के स्थानांतरण को संस्वीकृति देना—

(i) एक सूचीबद्ध नियोक्ता से किसी अन्य के पास,

(ii) सामान्य पूल से सूचीबद्ध नियोक्ता के पास,

(iii) सूचीबद्ध नियोक्ता से पूल में जैसाकि स्कीम में प्रावधान है,

(द) सामान्य पूल श्रमिकों और नियोक्ताओं से प्राप्त अपीलों पर अनुच्छेद 48 अथवा 49 के तहत कार्रवाई करना,

(ध) उपाध्यक्ष के पद पर एक माह से कम की अवधि के लिए अप्रत्याशित रिक्ति को भरना, और इस मामले की सूचना अनुमोदन के लिए केन्द्र सरकार को भेजना,

(न) यह सुनिश्चित करना कि श्रमिकों को अस्थायी रूप से सूचीबद्ध करने के लिए संस्वीकृतियां अविलम्ब प्रदान की जाती है,

(प) यह घोषित करना कि काम "धीमी गति" से हो रहा है और उस पर कार्रवाई करना जैसाकि स्कीम के तहत प्राधिकृत है,

(फ) "आपात स्थिति" घोषित करना और उस पर कार्रवाई करना जैसाकि स्कीम के तहत प्राधिकृत है,

(ब) स्कीम के तहत विशिष्ट रूप से अध्यक्ष में निहित अन्य सभी कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह करना ।

2. अध्यक्ष उपर्युक्त में से किसी कार्य और कर्तव्य को लिखित रूप में उप अनुच्छेद (1) के तहत उपाध्यक्ष को सौंप सकता है । सिवाय उनके जो (ज), (न) (द), (प) (फ) और (ब) में उल्लिखित हैं ।

11. उपाध्यक्ष के दायित्व और कर्तव्य :–

उपाध्यक्ष बोर्ड का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और अपने कार्यों के निर्वाह में अध्यक्ष की सहायता करेगा और विशेष रूप में—

(क) सूचीबद्ध नियोक्ताओं और सूचीबद्ध श्रमिकों के विरुद्ध अनुच्छेद 43 के तहत अनुमतेय सीमा तक अनुशासन से संबंधित कार्यों का निर्वाह,

(ख) बोर्ड की उस समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना जिसका उसे सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया हो,

(ग) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करना,

(घ) अनुच्छेद 12 के तहत प्रशासनिक निकाय के कार्यों का निर्वाह करना, यदि उसे अनुच्छेद 5 के तहत ऐसा करने के लिए नियुक्त किया गया हो अथवा अनुच्छेद 5 के तहत कोई प्रशासनिक निकाय न नियुक्त किया गया हो,

(ङ) ऐसे अन्य कार्य करना जो लिखित रूप में अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए हों,

(च) ऐसे पदों पर अनुच्छेद 8 के अधीन बोर्ड की शक्तियों को और अनुच्छेद 10 के अधीन अध्यक्ष की शक्तियों को प्रभावित किए बिना नियुक्तियां करना जिनका अधिकतम वेतन भत्तों को छोड़कर प्रतिमाह एक हजार छह सौ तीस रुपए से अधिक न हो ।

12. प्रशासनिक निकाय के कार्य, दायित्व और कर्तव्य :

बोर्ड के कार्यों और अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, प्रशासनिक निकाय स्कीम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होंगे और विशेषकर निम्नलिखित बातों के लिए उत्तरदायी होंगे—

(क) नियोक्ताओं की सूची रखना, समायोजित करना और उसका अनुरक्षण करना, उसमें किसी गोदी नियोक्ता का नाम दर्ज करना अथवा पुनः दर्ज करना और जहां परिस्थितियों की ऐसी अपेक्षा हो किसी सूचीबद्ध नियोक्ता का नाम या तो उसके अनुरोध पर अथवा स्कीम के प्रावधान के अनुसार सूची में से हटाना,

(ख) समय-समय पर ऐसे सामान्य पूल श्रमिकों की ऐसी सूचियां अथवा अभिलेख जो भी आवश्यक हों, रखना, समायोजित करना और उनका अनुरक्षण करना, जो भी अस्थायी तौर पर गोदी कार्य के लिए उपलब्ध न हों और जिनकी अनुपस्थिति इसके द्वारा अनुमोदित कर दी गई हो और जहां परिस्थितियों की ऐसी अपेक्षा हो किसी सामान्य पूल श्रमिक का नाम या तो उसके अनुरोध पर अथवा स्कीम के प्रावधानों के अनुसार किसी सूची अथवा अभिलेख में से हटाना और समय-समय पर बोर्ड द्वारा संस्वीकृत सामान्य पूल श्रमिकों की किसी श्रेणी में भर्ती करना, सूचीबद्ध सामान्य पूल के श्रमिकों की नियुक्ति और नियंत्रण जो काम के लिए उपलब्ध हों जबकि स्कीम के अनुसार अन्यथा स्थिति में वे नयुक्त न किए गए हों,

(ग) बोर्ड से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सामान्य पूल श्रमिकों का बोर्ड द्वारा निर्धारित समूहों में समूहीकरण अथवा पुनः समूहीकरण करना,

(घ) यदि सामान्य पूल में कार्य के लिए सामान्य पूल श्रमिक उपलब्ध न हों, और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किए जाने पर ऐसी अन्य परिस्थितियों में गैर-सूचीबद्ध श्रमिकों का रोजगार प्राधिकृत करना,

(च) काम के लिए उपलब्ध सामान्य पूल में सामान्य पूल श्रमिकों को सूचीबद्ध नियोक्ताओं को आवंटित करना और इस प्रयोजन के लिए—

(1) इसे नियोक्ताओं के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने वाला समझा जाएगा,

(2) यह सामान्य पूल में सामान्य पूल श्रमिकों का यथासंभव पूरा-पूरा उपयोग करेगा,

(3) यह कार्य स्थान पर सामान्य पूल श्रमिकों की उपस्थिति का रेकार्ड रखेगा,

(4) सूचीबद्ध श्रमिकों के रोजगार और आय के स्थायी रख-रखाव की व्यवस्था करेगा,

(5) यह पूल में श्रमिकों के वेतन कार्डों में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा जैसाकि अनुच्छेद 30 में निर्धारित किया गया है,

(छ) (1) स्कीम के अधीन की गई व्यवस्था के अनुसार सूचीबद्ध नियोक्ताओं से लेवी की वसूली, कल्याण निधि में अंशदान और अन्य दूसरे अंशदान, सूचीबद्ध

(2) सामान्य पूल श्रमिकों से भविष्य निधि के लिए अंशदान का संग्रह करना और श्रमिकों का सामूहिक अंशदान संग्रह करना और सूचीबद्ध नियोक्ताओं से उसके लिए उतना ही अंशदान संग्रह करना,

(3) प्रत्येक श्रमिक का सभी आय का सूचीबद्ध गोदी नियोक्ता के एजेंट के रूप में भुगतान जो नियोक्ता से श्रमिक को देय है और इन श्रमिकों को स्कीम के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा देय सभी राशियों का भुगतान,

(4) स्कीम के प्रचालन को लागत सभी प्राप्तियों और खर्चों के समुचित लेखे रखना और बोर्ड को एक वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित तुलन पत्र प्रस्तुत करना,

(ज) (1) प्रतिवर्ष बजट तैयार करना, प्रतिवर्ष 15 फरवरी या उससे पहले उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना और उसे बोर्ड से अनुमोदित कराना,

(2) सभी सामान्य पूल श्रमिकों का पूर्ण सेवा रेकार्ड रखना,

(3) स्कीम के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर बोर्ड अथवा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा इसे सौंपे जाने वाले अन्य कार्य ।

13. श्रम अधिकारी :—

जब प्रशासनिक निकाय में सूचीबद्ध गोदी श्रमिकों के नियोक्ता शामिल होते हैं, तो प्रशासनिक निकाय बोर्ड के अनुमोदन से एक श्रम अधिकारी अथवा श्रम अधिकारियों को नियुक्त करेगा। श्रम अधिकारी प्रशासनिक निकाय के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में ऐसे कार्यों का निर्वाह करेगा जो उसे स्कीम के प्रावधानों के अनुसार उस निकाय द्वारा सौंपे जाएंगे ।

14. कार्मिक अधिकारी के कार्य :—

कार्मिक अधिकारी सामान्यतः उपाध्यक्ष को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता करेगा और अनुच्छेद 45 के तहत उसमें निहित कार्यों का निर्वाह करेगा ।

15. स्कीम के समुचित कार्यकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी :—

(1) केन्द्र सरकार समय-समय पर अपने विवेक से बोर्ड के अध्यक्ष के परामर्श से एक या अधिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है और ऐसे अधिकारी अथवा अधिकारियों को ऐसे कार्य सौंप सकती है जिन्हें वह स्कीम के समुचित कार्यकरण के लिए उपयुक्त समझे ।

(2) ऐसे अधिकारी अध्यक्ष के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करेंगे और उन्हें बोर्ड की निधियों से वेतन का भुगतान किया जाएगा । वह अथवा वे केन्द्र सरकार

द्वारा निर्धारित शर्तों पर और निर्धारित अवधि के लिए पदों पर रहेंगे ।

16. सूची आदि का रख-रखाव

(1) बोर्ड नियोक्ताओं की एक सूची होगी ।

(क) प्रारंभिक चरण में नौवहन कंपनियां, अथवा स्टीमर एजेंट अथवा स्टीवडोर अथवा ठेकेदार जो स्कीम के शिड्यूल 1 में निर्दिष्ट श्रमिकों श्रेणियों को रोजगार दे रहे हैं, स्कीम के तहत सूचीकरण के लिए पात्र होंगे ।

(ख) यदि आवश्यक हो तो बाद में भी सूचीकरण इसके द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।

(ग) तथापि, किसी भी हालत में किसी व्यक्ति अथवा फर्म को स्कीम के तहत लगातार सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि वह व्यक्ति अथवा फर्म स्कीम शुरू होने की तारीख से 12 महीने के अंदर मद्रास पत्तन न्यास से इस आशय का लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेता ।

यदि ऐसे किसी नियोक्ता को जारी किया गया लाइसेंस किसी कारणवश मद्रास पत्तन न्यास द्वारा नवीकृत नहीं किया जाता तो उसका नाम स्वतः ही नियोक्ताओं की सूची से निलंबित हो जाएगा।

(घ) इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार बोर्ड मद (क) और (ख) के तहत सूचीबद्ध व्यक्तियों को एक या अधिक समूह बनाने की अनुमति दे सकता है और इस प्रकार बना प्रत्येक समूह केवल मासिक श्रमिकों के रोजगार के लिए केवल एक नियोक्ता ही समझा जाएगा, नियोक्ताओं का ऐसा समूह अथवा ऐसे समूहों को भी पत्तन में सूचीबद्ध गोदी श्रमिकों के नियोक्ता के रूप में कार्य करने के लिए मद्रास पत्तन न्यास से लाइसेंस प्राप्त करना होगा ।

बशर्ते कि बोर्ड को यह अधिकार होगा कि वह केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऊपर निर्धारित शर्तों में समय-समय पर यथा आवश्यक फेरबदल अथवा संशोधन कर सकता है।

इसके अलावा यह भी शर्त है कि बोर्ड नियोक्ताओं के किसी समूह को दी गई अनुज्ञप्ति बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तारीख से रद्द कर सकता है, यदि नियोक्ताओं के समूह को प्रस्ताव के विरोध में दिए गए कारण बताओ नोटिस पर इसके अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो कि नियोक्ताओं का समूह ऐसे समूह के निर्माण के लिए निर्धारित शर्तों का आंशिक अथवा पूर्ण रूप से पालन करने में असफल रहा, और उक्त समूह उस तारीख से समाप्त समझा जाएगा।

(2) गोदी प्राप्ति लिपिकों, रिगर फोरमैन पर्यवेक्षकों और सामान्य पूल श्रमिकों की एक सूची होगी। श्रमिकों की सूची बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र में रखी जाएगी। श्रमिकों का रेकार्ड बोर्ड द्वारा इस प्रकार रखा जाएगा :—

(क) (i) सूची "क" प्राप्ति लिपिक पर्यवेक्षक, सामान्य पूल में शामिल प्राप्ति लिपिक और पर्यवेक्षक के अलावा जिन्हें सूचीबद्ध नियोक्ताओं द्वारा ठेके पर मासिक आधार पर रखा गया हो, और जिन्हें "मासिक श्रमिकों" के रूप में जाना जाता हो, की श्रेणीवार सूची।

जो पर्यवेक्षक और प्राप्ति लिपिक स्कीम शुरू होने के समय मासिक रोजगार में थे उन्हें आयु की जांच, मेडिकल फिटनेस और चरित्र एवं आचरण की पुष्टि करने के बाद इस सूची में शामिल करने की अनुमति दे दी जाएगी।

अध्यक्ष इन श्रेणियों में ऐसे श्रमिकों को विभिन्न नियोक्ताओं को आबंटित कर सकता है जिन्हें सूचीबद्ध नियोक्ताओं द्वारा मासिक रोजगार के लिए नहीं चुना गया हो। इस प्रकार के आबंटन का मानदण्ड मुख्यतः अलग-अलग नियोक्ताओं द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पत्तन में नौवहन कार्यों की मात्रा होगी।

(ii) सूची "ख" पर्यवेक्षक, गोदी प्राप्ति लिपिक रिगर फोरमैन, और सामान्य प्रयोजन मजदूर जो सामान्य पूल में है और जिन्हें सामान्य पूल श्रमिक कहा जाता है, इन्हें आयु की संवीक्षा, चिकित्सा फिटनेस और चरित्र एवं पूर्वाचरण की पुष्टि के बाद सूची में शामिल करने की अनुमति दी जाएगी।

17. सूचियों में श्रमिकों का वर्गीकरण :

(1) बोर्ड सूचियों में श्रेणियों द्वारा श्रमिकों के वर्गीकरण की व्यवस्था करेगा;

(2) सामान्य पूल श्रमिकों और स्कीम के तहत सूचीबद्ध मासिक श्रमिकों का वर्गीकरण निम्नलिखित में किया जाएगा :

1. पर्यवेक्षक
2. प्राप्ति लिपिक
3. रिगर फोरमैन
4. सामान्य पूल मजदूर

18. सूची "क" से सूची "ख6" में श्रमिकों का अस्थायी स्थानान्तरण ऐसे पर्यवेक्षकों और प्राप्ति लिपिकों को छोड़ कर जो सामान्य पूल के तहत सूचीबद्ध न हों।

पर्यवेक्षक और प्राप्ति लिपिक सामान्यतः मासिक रजिस्टर अर्थात सूची "क" में सूचीबद्ध नियोक्ता के साथ सम्बद्ध होंगे। यदि नियोक्ता का स्टीवडोरिंग कार्य पूरी तरह से बन्द हो जाने अथवा किसी अन्य अप्रत्याशित कारणों से जो अध्यक्ष की पुष्टि में वैध हों, पर्यवेक्षक अथवा प्राप्ति लिपिक की सेवाएं समाप्त की जा रही हों तो उसे अस्थायी तौर पर सामान्य पूल, अर्थात् सूची "ख" में तब तक के लिए रखा जा सकता है जब तक उसे किसी अन्य नियोक्ता को आबंटित न किया जाए।

9. सूची में श्रमिकों की संख्या का निर्धारण :

(1) बोर्ड समुचित जांच करने के बाद और प्रशासनिक निकाय के परामर्श से किसी श्रेणियों के सूचीकरण शुरू किए जाने से पहले श्रेणी में अपेक्षित श्रमिकों की संख्या का निर्धारण करेगा।

(2) इस प्रकार निर्धारित संख्या पर सूचीकरण से पहले केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(3) (क) बोर्ड प्रत्येक श्रेणी में श्रमिकों की संख्या समय-समय पर केन्द्र सरकार के अनुमोदन से निर्धारित करेगा और तदनुसार श्रमिकों की सूचियों को समायोजित करने की व्यवस्था करेगा ;

(ख) बोर्ड के निर्णय के अनुसार प्रशासनिक निकाय यथा सम्भव अविलम्ब श्रमिकों को सूचीबद्ध करने अथवा सूची में से हटाने की व्यवस्था करेगा ;

(ग) सूची से हटाने की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अलग से निर्धारित की जाएगी।

20. मौजूदा और नए श्रमिकों का सूचीकरण :—

(1) उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी श्रेणी में श्रमिक को सूचीबद्ध किए जाने से पहले बोर्ड उस श्रेणी में गोदियों में काम कर रहे सभी श्रमिकों में से इस श्रेणी में उपलब्ध श्रमिकों की संभावित संख्या का अनुमान लगाने की दृष्टि से इनकी विस्तृत जांच अर्थात् आय की जांच, मेडिकल फिटनेस और चरित्र एवं आचरण की पुष्टि करेगा।

(2) तथ्य यह है कि पहले से पत्तन में काम कर रहा श्रमिक स्वतः ही सूचीबद्ध किए जाने के लिए पात्र नहीं हो जाता।

(3) अनुच्छेद 17 के अनसार सूचीकरण निम्नलिखित ढंग से किया जाएगा :—

(क) सूची "क"

(i) उन सभी पर्यवेक्षकों, प्राप्ति लिपिकों के नाम जो 11-4-84 को स्टीवडोर नियोक्ताओं की मासिक नियुक्ति में थे, नियोक्तावार, और श्रेणीवार सूची "क" में सीधे शामिल किया जाएगा बशर्ते वे आयु, चिकित्सा फिटनेस और चरित्र एवं पूर्व आचरण की पुष्टि के आधार पर अन्यथा स्थिति में योग्य हो वे लगातार संबंधित नियोक्ताओं की मासिक सूची में शामिल रहेंगे।

(ii) सूची "ख"

कोई श्रमिक जो 11-4-84 को मद्रास स्टीवडोर एसोसिएशन द्वारा चलाए जा रहे पूल के तहत पहले से पंजीकृत था उसे आयु की जांच, मेडिकल फिटनेस और चरित्र एवं आचरण की पुष्टि के बाद सूचीकरण के लिए उपयुक्त पाए जाने पर इस स्कीम के तहत सूचीबद्ध हुआ समझा जाएगा। जो श्रमिक उपर्युक्त शर्तों के अन्तर्गत सूचीकरण के लिए उपयुक्त नहीं पाए जाएंगे उन्हें स्कीम के कार्य क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा।

(ख) नए सूचीकरण के लिए अर्हता हेतु बोर्ड द्वारा आय का निर्धारण स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रख कर किया जाएगा लेकिन 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी, शारीरिक फिटनेस, क्षमता और/अथवा अनुभव को भी ध्यान में रखा जाएगा। सूचीकरण के लिए केवल भारतीय राष्ट्रीक ही पात्र होंगे।

और बशर्ते कि भूतपूर्व सैनिकों और अनसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा आयु सीमा में छूट देकर 45 वर्ष तक किया जा सकता है।

(ग) किसी नई श्रेणी में श्रमिकों का सूचीकरण इन श्रमिकों में से किया जाएगा जो इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित तारीख को पत्तन में सेवा में थे अथवा सेवा कर रहे हों और सूचीकरण के लिए चयन यथासम्भव वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा जिसे श्रमिक द्वारा उस श्रेणी में की गई सेवा की अवधि द्वारा निर्धारित किया जाएगा और बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। यदि किसी मामले में वरिष्ठता सूची उपलब्ध न हो तो चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य आधार पर किया जाएगा बशर्ते कि श्रमिक मेडिकल की दृष्टि से फिट हो और 58 वर्ष से अधिक आय का न हो।

(4) ऐसी श्रेणियों को सूचीबद्ध करने के संबंध में, जिन्हें स्कीम लागू होने की तारीख के बाद शिड्यूल 1 में शामिल किया गया हो, निम्नलिखित सिद्धांत लागू होंगे :

(क) श्रमिक को किसी भी श्रेणी में सूचीबद्ध किए जाने से पहले बोर्ड पत्तन में काम कर रहे इस श्रेणी के सभी कोनाफाइड श्रमिकों में से उस श्रेणी में अपेक्षित सम्भावित श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाने की दृष्टि से अनुच्छेद 19 के तहत व्यापक जांच करेगा।

(ख) सम्भावित आवश्यकता के आधार पर अनन्तिम सूचीकरण किया जाएगा और तथ्य यह है कि श्रमिक का पत्तन में पहले से कार्यरत होना इसे स्वतः सूचीकरण के लिए पात्र नहीं बनाएगा।

(ग) अनन्तिम सूचीकरण का काम पूरा होने के बाद बारी-बारी से बुकिंग शुरू कर दी जाएगी जिसमें उन्हें, उस स्तर पर, मजदूरी के अलावा अन्य वित्तीय लाभ नहीं दिए जाएंगे जो स्कीम के तहत सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिकों को दिए जाते हैं।

(घ) छह महीने के बाद अनन्तिम रूप से सूचीबद्ध किए गए श्रमिकों को मिले वास्तविक रोजगार को देखते हुए आवश्यकता का पुनः मूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार अनन्तिम सूचीकरण को समायोजित किया जाएगा। अनुच्छेद 33 के तहत उपस्थिति भत्ते का भुगतान उसी समय से शुरू होगा।

(ङ) बारी-बारी से बुकिंग शुरू किए जाने के एक वर्ष के बाद इन परिस्थितियों में कार्यकरण की जांच की जाएगी ताकि उतने दिनों की संख्या निर्धारित की जा सके जिनके लिए अनुच्छेद 32 के तहत गारंटीशुदा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। तब से आगे श्रमिक स्कीम के तहत सभी लाभ प्राप्त करने के हकदार हो जाएंगे।

(थ) पहले पंजीकृत श्रमिकों की श्रेणियों के लिए न्यूनतम दिनों की संख्या जिसके लिए अनुच्छेद 32 के तहत मजदूरी की गारण्टी दी गई है, इसका स्कीम के शुरू होने की तारीख के बाद सूचीबद्ध होने वाली श्रेणियों द्वारा स्वतः प्राप्त करने का दावा नहीं किया जा सकेगा। ऐसे न्यूनतम दिनों की संख्या हरेक श्रेणी में अलग-अलग हो सकती है जैसा उपर्युक्त (ङ) के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है।

(छ) श्रमिकों की ऐसी श्रेणियों, जिन्हें स्कीम शुरू होने की तारीख के बाद सूचीबद्ध किया गया हो इनकी मजदूरी वही होगी जिसे बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।

5. बोर्ड समय-समय पर अस्थायी तौर पर श्रमिकों को उन अवधियों के लिए और उन सेवा शर्तों पर सूचीबद्ध करने की अनुमति दे सकता है, जिन्हें बोर्ड निर्धारित करे।

बशर्ते कि अस्थायी तौर पर सूचीबद्ध किए गए श्रमिक अनुच्छेद 32 के तहत उपस्थिति भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे और उनके दायित्व वही होंगे जो पूल में गोदी सामान्य पूल श्रमिकों के हैं।

(6) स्कीम के तहत जिस श्रेणी में गोदी सामान्य पूल श्रमिक पहले से सूचीबद्ध है, उस श्रेणी में अस्थायी अथवा स्थायी आधार पर नई भर्ती रोजगार कार्यालय में पंजीकृत श्रमिकों में से की जाएगी। तथापि यदि, मांग-पत्र भेजने की तारीख को रोजगार कार्यालय की पंजी में उपलब्ध उपयुक्त आदमियों से आवश्यकता अधिक आदमियों की हो तो रोजगार कार्यालय को पंजी से उपयुक्त आदमी लेने के बाद सीधी भर्ती की जा सकती है।

(7) उप अनुच्छेद (3) की मद (ग) के तहत सूचीबद्ध किए गए नए श्रमिकों को सूची में स्थायी आधार पर रखे जाने से पहले छह माह की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(8) स्कीम के किसी अन्य प्रावधानों के बावजूद, जहां बोर्ड की यह राय हो कि किसी सामान्य पूल श्रमिक ने अपने आवेदन-पत्र में गलत सूचना देकर अथवा उसमें अपेक्षित कोई सूचना छिपा कर अपना सूचीकरण करा लिया हो, अथवा जहां यह पता चले कि किसी श्रमिक को अवैध या गलत ढंग से सूचीबद्ध किया गया है, तो बोर्ड बैठक में उसका नाम सूचियों से हटाने का निर्देश दे सकता है।

बशर्ते कि ऐसा कोई निर्देश देने से पहले बोर्ड उसे इस बात के लिए कारण बताने का अवसर देगा कि प्रस्तावित निर्देश क्यों नहीं जारी किया जाना चाहिए।

21. सेवा निवृत्ति की आयु : स्कीम के तहत सभी सूचीबद्ध श्रमिकों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष होगी।

22. श्रमिकों का रोजगार, पदोन्नति, और स्थानान्तरण : पूल के किसी वर्ग या श्रमिकों में आकस्मिक रिक्ति से भिन्न अन्य किसी रिक्ति को सामान्यतः अगले निम्न वर्ग के श्रमिक की पदोन्नति द्वारा भरी जाएगी।

(2) मासिक श्रमिकों के किसी वर्ग में आकस्मिक रिक्ति से भिन्न अन्य किसी रिक्ति को उसी नियोक्ता या नियोक्ता-समूह के मासिक श्रमिकों के निम्न वर्ग से केवल पदोन्नति द्वारा या उसी नियोक्ता या नियोक्ता-समूह के मासिक श्रमिकों के निम्न वर्ग से पदोन्नति के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है तो पूल से उसी या किसी वर्ग के श्रमिक, जिसे सूचीबद्ध नियोक्ता या नियोक्ता-समूह द्वारा चुना जाएगा, के स्थानांतरण द्वारा भरा जाएगा।

स्पष्टीकरण—पदोन्नति के मानदण्ड सामान्यतः निम्नलिखित होंगे :—

(क) वरिष्ठता;

(ख) वर्ग में कार्य—जिसके लिए पदोन्नति की जानी है, की मैरिट और फिटनेस; और

(ग) पिछली सेवा का रिकार्ड।

टिप्पणी—एक ही वर्ग में सूची "क" से सूची "ख" में या इसके विपरीत क्रम में स्थानांतरण को पदोन्नति नहीं माना जाएगा।

(3) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, पर्याप्त एवं वैध कारणों से किसी मासिक श्रमिक के सामान्य पूल में स्थानांतरण की, स्थानांतरण के कारणों के पूरे विवरण देते हुए नियोक्ता या श्रमिक द्वारा लिखित रूप से अनुरोध करने पर अनुमति देगा बशर्ते कि ऐसा स्थानांतरण, रोजगार समाप्त करने के संबंध में मासिक श्रमिक और उसके नियोक्ता के बीच हुए किसी कांट्रैक्ट को पूरा करने की शर्त पर होगा। कोई भी स्थानांतरण अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

(4) यदि किसी नियोक्ता द्वारा अनुशासनहीनता या कदाचार के कार्य के लिए किसी मासिक श्रमिक की सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं, तो वह जनरल पूल में रोजगार के लिए बोर्ड को आवेदन करेगा। तब उपाध्यक्ष, बोर्ड की तरफ से मैरिट के मामले पर विचार करेंगे कि श्रमिक को रोजगार पर रखा जाए अथवा नहीं और यदि हां तो उसे उसी वर्ग में रखा जाए अथवा किसी निम्न वर्ग में।

(5) यदि किसी मासिक श्रमिक का सब क्लाज (3) या सब क्लाज (4) के अंतर्गत जनरल पूल में स्थानांतरण किया जाता है या रोजगार दिया जाता है—जैसी भी स्थिति हो, उसकी पिछली सेवाओं को जनरल पूल में सभी लाभों के लिए गिना जाएगा और नियोक्ता यदि ऐसी सेवा का स्थानांतरण नहीं किया जाता तो उसकी पिछली सेवाओं के संबंध में श्रमिक को मिलने वाले सभी लाभ बोर्ड को स्थानांतरित करेगा। नियोक्ता विशेष रूप से ऐसे स्थानांतरण की तारीख को श्रमिक के बकाया अवकाश, भविष्य निधि या उपदान के संबंध में बोर्ड को उस राशि का अंशदान करेगा जो समुचित होगी।

23. मेडिकल परीक्षा :

1. (क) सूचीबद्ध किए जाने से पहले सभी श्रमिकों को शारीरिक फिटनेस के लिए अध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन के लिए मनोनीत मेडिकल अधिकारी द्वारा निःशुल्क मेडिकल परीक्षा की जाएगी।

(ङ) मेडिकल अधिकारी द्वारा यदि कोई श्रमिक मेडिकली अनफिट पाया जाता है तो वह लिखित रूप में अध्यक्ष को मेडिल बोर्ड द्वारा मेडिकल परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रकार का अनुरोध प्राप्त होने पर अध्यक्ष एक मेडिकल बोर्ड गठित करेगा।

(च) मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और कोई श्रमिक जो मेडिकली अनफिट होगा, सूचीकरण के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) यदि नियोक्ता यह आवश्यक समझे तो कोई श्रमिक अध्यक्ष द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशुल्क मेडिकल परीक्षा के लिए जाएगा। नियोक्ता को अध्यक्ष के अनुमोदन से यह अधिकार होगा कि वह मैडिकल बोर्ड द्वारा अनफिट पाए गए श्रमिक की सेवाएं समाप्त कर दे। मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

24. प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं :

बोर्ड उपर्युक्त सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिकों के ऐसे कार्यों में प्रशिक्षण के लिए जिसे वह आवश्यक समझे प्रावधान करेगा।

25. सूचीकरण शुल्क :

(क) स्कीम के तहत सूचीकरण के समय प्रत्येक श्रमिक द्वारा बोर्ड को दस रुपए का सूचीकरण शुल्क देना होगा।

(ख) प्रत्येक नियोक्ता स्कीम के तहत सूचीकरण के समय पांच सौ रुपए का सूचीकरण शुल्क का भुगतान करेगा।

26. कार्डों की आपूर्ति

प्रत्येक सामान्य पूल श्रमिक को सूचीबद्ध किए जाने के समय बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में निम्नलिखित कार्ड निःशुल्क दिए जाएंगे अर्थात् :—

(1) पहचान कार्ड और

(2) वेतन कार्ड।

कार्ड खो जाने पर नया कार्ड जारी किया जाएगा और उसकी लागत, जिसे बोर्ड द्वारा नियत किया जाएगा, संबंधित श्रमिक द्वारा अदा की जाएगी। कार्ड खो जाने के ऐसे सभी मामलों में श्रमिक को कार्ड खो जाने की सूचना पुलिस तथा प्रशासनिक निकाय के पास तत्काल दर्ज करानी चाहिए।

27. सामान्य पूल श्रमिकों के लिए "सेवा रेकार्ड" :

प्रत्येक मासिक श्रमिक का एक "सेवा रिकार्ड" सभी सूचीबद्ध नियोक्ताओं द्वारा बोर्ड द्वारा निर्धारित पत्र में रखा जाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पदोन्नति का पूरा रिकार्ड अच्छे काम की सिफारिशें, श्रमिक के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई, इत्यादि का रिकार्ड रखा जाएगा। सामान्य पूल श्रमिकों के संबंध में ऐसे ही रिकार्ड प्रशासनिक निकाय द्वारा रखे जाएंगे।

28. सूचीबद्ध गोदी नियोक्ताओं के लिए "रिकार्ड शीट" :

प्रशासनिक निकाय प्रत्येक सूचीबद्ध नियोक्ता के संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रिकार्ड रखेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सूचीबद्ध गोदी नियोक्ताओं के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई का पूरा रिकार्ड रखा जाएगा।

29. कार्ड का लौटाया जाना

(1) सामान्य पूल श्रमिक का कार्ड निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रशासनिक निकाय को लौटा दिया जाएगा अर्थात् :—

(क) जब तीन दिन या अधिक की छुट्टी पर जाए,

(ख) जब सेवा से सेवानिवृत्त हो,

(ग) जब सेवा से बर्खास्त किया जाए,

(घ) जब अस्थायी तौर पर निलंबित किया जाए,

(ङ) मृत्यु होने पर।

बशर्ते कि उपर्युक्त में से किसी भी परिस्थितियों में मासिक श्रमिक का सेवा रिकार्ड प्रशासनिक निकाय को लौटाएगा।

30. वेतन कार्ड में प्रविष्टियां :

एक सामान्य पूल श्रमिक को काम के लिए किसी सूचीबद्ध नियोक्ता को आबंटित किए जाने के समय वह अपना वेतन कार्ड प्रशासनिक निकाय को सौंप देगा, यदि कोई कार्ड पहले ही प्रशासनिक निकाय के पास जमा न कराया गया हो और उसे सामान्य पूल श्रमिक को वापस न लौटाया गया हो।

प्रशासनिक निकाय श्रमिक द्वारा किए गए काम की अवधि के संबंध में वेतन कार्ड में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा और उसे प्रविष्टियां किए जाने के तुरंत बाद श्रमिक को लौटा देगा।

(2) मासिक श्रमिक जहाज पर उसे काम आबंटित किए जाने के समय अपना वेतन कार्ड अपने नियोक्ता को सौंप देगा, यदि कोई कार्ड पहले ही नियोक्ता के पास जमा न कराया गया हो और उसे श्रमिक को न लौटाया गया हो।

उक्त नियोक्ता श्रमिक द्वारा किए गए काम की अवधि के संबंध में कार्डों में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा और उन्हें प्रविष्टियां करने के तुरंत बाद उसे लौटा देगा।

31. शिफ्टों में रोजगार :

(1) श्रमिकों को शिफ्टों में लगाया जाएगा।

(2) (क) एक श्रमिक सामान्यतः दो लगातार शिफ्टों में नहीं लगाया जाएगा और न ही किसी श्रमिक को लगातार दो दिन प्रत्येक दिन लगातार दो शिफ्टों में नहीं लगाया जाएगा। किसी भी हालत में किसी श्रमिक को लगातार तीन शिफ्टों में नहीं लगाया जाएगा।

(ख) किसी सामान्य पूल (सूची "ख") का श्रमिक को एक सप्ताह में 9 शिफ्टों अथवा एक माह में 33 शिफ्टों से अधिक नहीं लगाया जाएगा ।

(ग) सामान्यतः एक मासिक श्रमिक को एक सप्ताह में 6 शिफ्टों अथवा महीने में 27 शिफ्टों से अधिक के लिए नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जब सूची "ख" का कोई श्रमिक जो ऊपर मद (ख) में परिभाषित रोजगार की अधिकतम सीमा तक न पहुंचा हो, उपलब्ध न हो तो एक मासिक श्रमिक को एक सप्ताह में 9 शिफ्टों तक अथवा एक महीने में 33 शिफ्टों तक लगाया जा सकता है ।

(घ) विशेष परिस्थितियों में, अध्यक्ष अस्थायी तौर मद (ख) और (ग) के प्रतिबंधों में आवश्यक सीमा तक छूट दे सकता है ।

(ङ) एक दिन में एक से अधिक शिफ्ट में काम करने वाले श्रमिक प्रत्येक शिफ्ट में काम के लिए सामान्य दर पर वेतन पाने के हकदार होंगे ।

(3) सामान्य पूल में प्रत्येक श्रेणी के श्रमिकों को सामान्यतः बारी-बारी से ही काम आवंटित किया जाएगा । तथापि बैठक में बोर्ड बुकिंग की अन्य पद्धति निर्धारित कर सकता है जिसे वह काम के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक समझे ।

32. एक माह में गारंटीशुदा न्यूनतम वेतन :

(1) सूची "ख" में एक सामान्य पूल श्रमिक को स्कीम के शुरू होने पर एक माह में वेतन दर पर कम से कम 12 दिन का वेतन दिया जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा निर्धारित महंगाई भत्ता शामिल होगा जो उस श्रेणी के लिए उपयुक्त होगा जिससे वह स्थायी रूप से संबंधित है ।

(2) उप अनुच्छेद (1) के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष किसी सामान्य पूल श्रमिक की न्यूनतम दिनों की संख्या निर्धारित की जा सकती है जिसके लिए वेतन की गारंटी दी गई है, जो पिछले वर्ष के दौरान सामान्य पूल में निम्नतम श्रेणी के श्रमिकों द्वारा प्राप्त मासिक औसत रोजगार के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, ताकि न्यूनतम दिनों की संख्या 21 पर पहुंच जाए ।

टिप्पणी :—औसत रोजगार की गणना करने की पद्धति का उद्धरण शिड्यूल III में विस्तार से दिया गया है।

(3) श्रमिक को जिन दिनों काम दिया जाएगा उन दिनों गारंटीशुदा न्यूनतम दिनों में जोड़ा जाएगा, जिसके लिए वेतन का भुगतान किया जाएगा । एक माह में गारंटीशुदा न्यूनतम वेतन इस प्रकार होगा :—

(क) जितने दिनों के लिए एक माह में वेतन की गारंटी दी गई है, बशर्ते कि श्रमिक ने प्रशासनिक निकाय द्वारा दिए गए निर्देश पर महीने में सभी दिन काम किया हो और प्रशासनिक निकाय के कहने पर एक दिन में एक अतिरिक्त शिफ्ट में भी काम किया हो, अथवा

(ख) जिन दिनों में श्रमिकों ने काम किया हो उतने दिनों की अनुपातिक संख्या, बशर्ते कि उसे महीने के शेष सभी दिनों में काम पर आने से छूट दी गई हो।

(4) इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ :

(क) भुगतान की जाने वाली वेतनदर में महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते शामिल होंगे जिसे बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा और जो उस श्रेणी के अनुरूप होगा जिससे श्रमिक यदि स्थायी रूप से अथवा अस्थायी रूप से एक माह या अधिक अवधि के लिए संबंधित रहा हो,

(ख) एक दिन में काम की अतिरिक्त शिफ्ट अथवा शिफ्टों को दिन के रूप में अलग से नहीं जोड़ा जाएगा,

(ग) अपनी साप्ताहिक छुट्टी के दिन कोई श्रमिक तब तक उपस्थित समझा जाएगा जब तक उस दिन प्रशासनिक निकाय द्वारा उसे काम के लिए विशिष्ट रूप से बुक न किया गया हो और वह उपस्थित होने में असमर्थ न रहा हो ।

(5) ऐसे सभी श्रमिक जिनके नाम मूलतः सूची "ख" में दर्ज हैं, जब यह स्कीम लागू हो जाएगी, तो वे लगातार न्यूनतम गारंटीशुदा वेतन पाने के हकदार बने रहेंगे जो वे अपने सूचीबद्ध होने से पहले प्राप्त कर रहे थे । ऐसे सभी श्रमिक, जिनके नाम इस सूची में बाद में दर्ज किए गए हों, उप अनुच्छेद (2) से अभिशासित होंगे ।

टिप्पणी :—इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ शब्द "श्रेणी" जहां कहीं भी आता है, उसमें यह समझा जाएगा कि उसमें अनुच्छेद 17 के तहत बोर्ड द्वारा बनाई गई उप श्रेणियों का सभी वर्गीकरण शामिल है ।

33. उपस्थिति भत्ता :—स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, सामान्य पूल रजिस्टर का कोई श्रमिक जो काम के लिए उपलब्ध हो, लेकिन उसके लिए कोई काम न हो, तो उसे उपस्थिति भत्ता, जिसमें महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते शामिल नहीं होंगे, उतने दिनों के लिए एक रुपया प्रति दिन की दर से दिया जाएगा जितने दिन वेतन अवधि (माह) के दौरान वह प्रशासनिक निकाय निर्देश पर काम के लिए उपस्थित हुआ हो और उसके लिए कोई काम न रहा हो ।

बशर्ते कि बोर्ड समय-समय पर उपस्थिति भत्ते के भुगतान, जिसमें महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते शामिल न हों, की उच्च दर पर अनुमति दे सकता है जो दो रुपए प्रतिदिन से अधिक नहीं होगी, जिसे वह आवश्यक समझे ।

इसके अलावा यह भी शर्त है कि ऐसे किसी दिन का उपस्थिति भत्ता नहीं दिया जाएगा जिसके लिए अनुच्छेद 32 और 35 के अंतर्गत भत्तों सहित वेतन का भुगतान किया गया हो ।

34. एक शिफ्ट के लिए रोजगार :—सामान्य पूल में किसी भी श्रमिक को एक शिफ्ट से कम की अवधि के लिए नहीं लगाया जाएगा और जहां काम, जिसके लिए श्रमिक लगाया गया हो, शिफ्ट की कार्य अवधि के दौरान पूरा हो जाता है, तो शेष अवधि के लिए उसे उसी नियोक्ता द्वारा उसी अथवा अन्य पोत पर अथवा बर्थ पर, जो भी आवश्यक हो, काम करने के लिए लगाया जाएगा ।

35. वेतन का भुगतान जब काम पर लगाए जाने के बाद काम उपलब्ध न हो :—

जब सामान्य पूल का श्रमिक काम के लिए उपस्थित होता है और किसी कारणवश वह काम, जिसके लिए वह उपस्थित होता है, शुरू अथवा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और नियोक्ता द्वारा उसके लिए कोई वैकल्पिक काम न दिया जा सके तो उसे उक्त नियोक्ता द्वारा लौटाया जा सकता है और उसे काम पर आने के दो घंटे के अंदर प्रशासनिक निकाय के निर्देश पर पत्तन में किसी भी स्थान पर वापस भेजा जा सकता है। श्रमिक प्रशासनिक निकाय द्वारा निर्देशित स्थान पर पूरी शिफ्ट तक प्रतीक्षा करेगा और उसी शिफ्ट में कोई अन्य काम करेगा, जो उसे प्रशासनिक निकाय द्वारा दिया जाएगा। यदि उसे कोई काम नहीं दिया जाता तो वह महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों सहित पूर्णकालिक दर पर वेतन के आधार पर निराश राशि (डिसएपॉइंटमेंट मनी) प्राप्त करने का हकदार होगा । जब उसे काम दिया जाता है तो वह किए गए काम के लिए पीसरेट वेतन पाने का हकदार होगा और शिफ्ट की शेष अवधि के लिए आनुपातिक मूल वेतन और भत्ते पाने का हकदार होगा ।

36. छुट्टियां :—प्रत्येक सामान्य पूल श्रमिक एक वर्ष में 8 सवेतन छुट्टियों का हकदार होगा इसमें वे सभी दिन (जो वर्ष में 6 दिन से अधिक नहीं होंगे) जिन्हें बोर्ड द्वारा बन्द छुट्टियों के रूप में घोषित किया गया है, शामिल होंगे । ऐसी छुट्टियों का भुगतान बोर्ड द्वारा अनुच्छेद 42 के तहत निर्धारित ढंग से किया जाएगा और इसमें अनुच्छेद 32 के तहत परिकलित भुगतानों के अलावा होगा ।

37. समितियां : (1) बोर्ड एक या अधिक समितियां नियुक्ति कर सकता है जिन्हें वह ऐसे काम सौंप सकता है जिन्हें वह स्कीम के प्रावधानों के अनुपालन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक समझे और वह उन्हें समाप्त अथवा पुनर्गठित कर सकता है, वह जो भी आवश्यक समझे ।

(2) जो व्यक्ति बोर्ड के सदस्य नहीं है, यदि आवश्यक हो, तो उन्हें समिति के सहयोजित सदस्यों के रूप में मनोनीत किया जा सकता है, तथापि, ऐसे सहयोजित सदस्यों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

38. सामान्य पूल श्रमिकों के दायित्व :—(1) प्रत्येक श्रमिक ने स्कीम के दायित्वों को स्वीकार कर लिया है, ऐसा समझा जाएगा ।

(2) सामान्य पूल में सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिक, जो काम के लिए उपलब्ध है, उसे बोर्ड के रोजगार में समझा जाएगा ।

(3) सामान्य पूल में सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिक, जो काम के लिए उपलब्ध है, वह स्वयं को तब तक किसी सूचीबद्ध नियोक्ता के अधीन रोजगार के लिए नहीं लगाएगा, जब तक उसे प्रशासनिक निकाय द्वारा उस नियोक्ता को आबंटित नहीं किया जाता ।

(4) सामान्य पूल में एक सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिक, जो काम के लिए उपलब्ध है, वह प्रशासनिक निकाय के निर्देशों का पालन करेगा और

(क) प्रशासनिक निकाय द्वारा निर्दिष्ट कार्य स्थलों और समय पर रिपोर्ट करेगा और उन कार्यस्थलों पर मौजूद रहेगा,

(i) यदि इस आशय का निर्देश प्रशासनिक निकाय द्वारा दिया गया हो तो वह शिफ्ट की पूरी अवधि बोर्ड द्वारा निर्धारित रिटेंशन भत्ते पर वहां रहेगा, अथवा

(ii) यह अवधि यथा निर्दिष्ट एक घंटे से अधिक नहीं होगी,

(ख) वह किसी भी सूचीबद्ध नियोक्ता की मासिक सूची में, जिसके पास अध्यक्ष द्वारा उसे आबंटित किया गया हो, स्थानांतरण के लिए सहमत रहेगा और

(ग) वह गोदी काम के सिलसिले में कोई काम स्वीकार करेगा चाहे वह उसी श्रेणी का हो जिसमें वह सूचीबद्ध किया गया है अथवा किसी अन्य श्रेणी का काम हो जिसके लिए उसे प्रशासनिक निकाय द्वारा उपयुक्त समझा गया हो ।

(5) एक सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिक, जो काम के लिए उपलब्ध हो, तो जब उसे प्रशासनिक निकाय द्वारा किसी सूचीबद्ध नियोक्ता द्वारा काम के लिए आबंटित किया जाए तो वह सूचीबद्ध नियोक्त अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के निर्देशानुसार और पत्तन के नियमों अथवा काम के स्थान के नियमों के अनुसार काम करेगा ।

(6) सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिक स्कीम के शुरू होने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक ऐसी मांगें नहीं करेगा जो अतिरिक्त विवक्षा रखती हों । स्कीम के शुरू होने से पूर्व मैनिंग स्केल और गैंगस को लगाने में लचीलेपन की प्रक्रिया उसे मान्य होगी ।

(39) सूचीबद्ध नियोक्ताओं के दायित्व :

(1) प्रत्येक सूचीबद्ध नियोक्ता स्कीम के दायित्वों को स्वीकार करेगा ।

(2) अनुच्छेद 40(1) के प्रावधानों और अनुच्छेद 40 (2) में दी गई छूट के अनुसार कोई सूचीबद्ध नियोक्ता अनुच्छेद 12(घ) के प्रावधानों के अनुसार सामान्य पूल श्रमिक जिसे प्रशासनिक निकाय द्वारा आबंटित किया गया हो, किसी अन्य श्रमिक को नहीं लगाएगा,

(3) सूचीबद्ध नियोक्ता प्रशासनिक निकाय द्वारा की गई व्यवस्थाओं के अनुसार अपनी मौजूदा और भावी श्रमिक आवश्यकताओं के बारे में उपलब्ध सभी सूचना प्रस्तुत करेगा ।

(4) सूचीबद्ध नियोक्ता प्रशासनिक निकाय को अपने द्वारा लगाए गए सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिकों के बारे में ऐसे आंकड़े और सूचना देगा, जो प्रशासनिक निकाय द्वारा समय समय पर अपेक्षित हो।

5(i) सूचीबद्ध नियोक्ता प्रशासनिक निकाय को अनुच्छेद 54(i) के तहत देय लेवी तथा अन्य प्रशासनिक प्रभारों का तथा दैनिक श्रमिकों को देय कुल वेतन का ऐसे ढंग से और उस समय भुगतान करेगा जिस तरह बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया हो।

(ii)(क) सूचीबद्ध नियोक्ता मासिक श्रमिकों के वेतन से काट गए मासिक भविष्य निधि अंशदान और सूचीबद्ध नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले तत्सम्बंधी अंशदान की राशि, भविष्य निधि ऋण की अदायगी और भविष्य निधि ऋण पर ब्याज की राशि वसूल किए जाने के 15 दिनों के अन्दर बोर्ड को भुगतान करेगा।

(ख) मासिक श्रमिकों का भविष्य निधि खाता रखने पर होने वाला खर्च सूचीबद्ध नियोक्ताओं द्वारा बोर्ड को किए जाने वाले भुगतान में से ऐसे ढंग से और उस आधार पर अदा की जाएगी जिसे बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाए।

(6) सूचीबद्ध नियोक्ता ऐसे अभिलेख रखेगा जो बोर्ड द्वारा अपेक्षित हों और उन्हे उपयुक्त नोटिस पर ऐसे सभी अभिलेख और कोई अन्य दस्तावेज जो सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिकों और उनके काम जिन पर उन्हें लगाया गया है, से सम्बधित हैं। बोर्ड अथवा ऐसे व्यक्तियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिन्हें बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया हो और ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा जो उनसे सम्बधित हो और जिसे बोर्ड द्वारा अथवा बोर्ड की ओर से जारी किसी नोटिस अथवा निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया हो।

7(i) सूचीबद्ध नियोक्ता अर्थात स्टीवडोर नियोक्ता अथवा ठेकेदार अथवा ऐसे नियोक्ताओं के समूह को केवल सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिकों का ही उपयोग करने की अनुमति है जिसका प्रावधान जहाज मालिकों, नौवहन एजेंटों अथवा नौवहन कम्पनियों के साथ सीधे स्टीवडोरिंग करार के तहत है।

(ii) बोर्ड किसी भी समय किसी भी नियोक्ता से किसी जहाज पर काम से सम्बधित करार अथवा दस्तावेज जांच के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।

(iii) सूचीबद्ध नियोक्ता सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिक को सामान्यतः और वास्तविक देय राशि, जो श्रमिक को देय है, से अधिक का नकद अथवा अन्य रूप में भुगतान नहीं करेगा।

40 रोजगार सम्बंधी प्रतिबंध: (i) सूचीबद्ध नियोक्ता के अलावा कोई व्यक्ति गोदी कार्य पर किसी श्रमिक को नहीं लगाएगा।

(ख) उप अनुच्छेद (2) में दी गई छूट के अनुसार कोई सूचीबद्ध नियोक्ता गोदी कार्य के लिए केवल सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिक को लगाएगा।

(2) इस अनुच्छेद के पूर्व उल्लिखित प्रावधानों के बावजूद :—

(क) जहा प्रशासनिक निकाय इस बात से संतुष्ट हो कि :—

(i) गोदी कार्य तत्काल किया जाना अति आवश्यक है, और उस कार्य के लिए सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिक मिलना वास्तव में व्यवहार्य नहीं है, तो प्रशासनिक निकाय, बोर्ड द्वारा लगाई गई सीमाओं के अन्तर किसी सूचीबद्ध नियोक्ता को ऐसा व्यक्ति आबंटित कर सकता है जो सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिक नहीं है।

इसके अलावा यह भी शर्त है कि जहा गैर सूचीबद्ध श्रमिक लगाने हो, वहां प्रशासनिक निकाय, यदि सम्भव हो, ऐसे श्रमिकों को लगाने के लिए अध्यक्ष से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और जहां यह संभव न हो वहां 24 घंटे के अंदर अध्यक्ष को उन परिस्थितियों के बारे में सूचना देगा जिनमें उसे ऐसे श्रमिकों को लगाना पड़ा था और अध्यक्ष बोर्ड को उसकी अगली बैठक में ऐसे रोजगार के बारे में सूचना देगा,

(ख) मद (ख) में उल्लिखित मामले में सूचीबद्ध नियोक्ता द्वारा इस प्रकार लगाया गए व्यक्तियों को अनुच्छेद 37 के उप अनुच्छेद 4, 5 और 6 और अनुच्छेद 42 के प्रयोजनों के लिए गोदी श्रमिक के समान समझा जाएगा जैसे कि वह सामान्य पूल श्रमिक हो।

(3) सामान्य पुल में सूचीबद्ध श्रमिक, यदि अनुच्छेद 38 के तहत अपने दायित्वों का पूरी तरह से पालन करता है, तो वह उन दिनों में जब प्रशासनिक निकाय द्वारा उसे काम के लिए आंबटित न किया गया हो, स्कीम के तहत सूचीबद्ध नियोक्ताओं के अलावा अन्य नियोक्ताओं के पास काम कर सकता है।

41. वे परिस्थितियां जिनमें स्कीम लागू नहीं होगी।

(1) यह स्कीम उस समय किसी सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिक पर लागू नहीं होगी जब उसका नाम स्कीम के प्रावधानों के अनुसार सूचियों अथवा अभिलेखों से हटा दिया गया हो।

(2) यह स्कीम उस समय किसी सूचीबद्ध नियोक्ता पर लागू नहीं होगी जब उसका नाम स्कीम के प्रावधानों के तहत नियोक्ताओं की सूची से हटा दिया गया हो।

(3) इस अनुच्छेद का कोई अंश उस अवधि के दौरान दायित्वों अथवा अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा जब व्यक्ति सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिक अथवा सूचीबद्ध नियोक्ता था।

42. शिड्यूल I में दी गई श्रेणियों के श्रमिकों का वेतन भत्ता और और अन्य सेवा शर्तें

(1) जब तक स्कीम में विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो शिड्यूल I में दी गई श्रेणियों के सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिक (चाहे वह सामान्य पूल में हो अथवा मासिक सूची में हो) और सूचीबद्ध नियोक्ता के बीच संविदा की यह एक अंतर्निहित शर्त होगी कि वेतन की दरें, भत्ते और ओवरटाइम, काम के घंटे, विश्राम अवकाश, छुट्टियां और तत्सम्बन्धी वेतन तथा अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जिन्हें प्रत्येक श्रेणी के श्रमिक के लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर उप अनुच्छेद (2) और (3) के प्रावधानों के तहत निर्धारित किया जाएगा।

(2) उक्त उप अनुच्छेद (1) में दी गई सेवा-शर्तों के अनुसार, मासिक श्रमिक (सूची "क") उस वर्ग—जिससे वह संबंधित है, के पूरे मासिक वेतन और भत्तों का हकदार होगा भले ही उन सभी दिनों उसे कार्य दिया गया हो अथवा नहीं।

एक मासिक श्रमिक, स्कीम के प्रारंभ होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए ऐसे किसी लाभ को प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा जिसमें कोई अतिरिक्त वित्तीय विवक्षाएं हों।

(3) एक सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिक, स्कीम के प्रारंभ होने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए ऐसे किसी लाभ को प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा जिसमें कोई अतिरिक्त वित्तीय विवक्षाएं हों।

(4) वेतन अवधि, वेतन भुगतान के समय और वेतन से कटौती का निर्धारण वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

43. काम देने अथवा काम न देने के सम्बन्ध में वेतन:—(1) स्कीम के अन्य प्रावधानों और इस अनुच्छेद तथा निम्नलिखित अगले अनुच्छेद में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार जब सामान्य पूल में सूचीबद्ध सामान्य पूल, श्रमिक काम के लिए उपलब्ध हो लेकिन उसे काम न दिया गया हो अथवा पूरा काम न दिया गया हो, तो वह बोर्ड से वही राशि प्राप्त करने का हकदार होगा जो अनुच्छेद 32, 33 और 34 के तहत उसे देय है।

(2) वे शर्तें जिनके तहत एक सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिक बोर्ड से उक्त भुगतान (यदि कोई हो) पाने का हकदार है, ये हैं—

(क) वह कार्य स्थलों पर निर्देशानुसार उपस्थित हुआ हो, और

(ख) उसकी उपस्थिति दर्ज की गई हो।

44. भुगतान के लिए अपात्रता

(1) सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिक सामान्य पूल में रहते हुए बिना किसी पर्याप्त कारण से अनुच्छेद 38 के उप अनुच्छेद 4 के मद (क), (ख) और (ग) के प्रावधानों का पालन न करता हो अथवा बोर्ड या बोर्ड की ओर से उसे दिए गए विधि सम्मत आदेशों का उसने पालन न किया हो, तो उसके विरुद्ध उप अनुच्छेद (3) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(2) सामान्य पूल में सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिक, जो प्रशासनिक निकाय द्वारा उसे आबंटित किए गए काम में कार्यरत रहते हुए बिना किसी पर्याप्त कारण से अनुच्छेद 38 के उप अनुछेद (5) के प्रावधानों का पालन करने में असफल रहता हो अथवा उसके नियोक्ता द्वारा उसे दिए गए कोई विधि सम्मत आदेशों का पालन करने में असफल रहता हो, उसको काम से हटा दिया गया हो और उसे सामान्य पूल में वापस लौटा दिया गया हो, चाहे उसकी इस वापसी की सूचना लिखित रूप में श्रम अधिकारी को दी गई हो अथवा न दी गई हो, प्रशासनिक निकाय उसके वेतन कार्ड में तदनुसार प्रविष्टि कर देगा।

(3) श्रम अधिकारी उप अनुच्छेद (1) अथवा उप अनुच्छेद (2) के तहत उठे किसी मामले पर विचार करेगा और यदि मामले की जांच-पड़ताल के बाद वह सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिक को अधिसूचित करता है कि वह इस बात से संतुष्ट है कि सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिक उपर्युक्त विधि सम्मत आदेशों का पालन करने में असफल रहा है, अतः सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिक किसी भुगतान अथवा अनुच्छेद 43 के तहत किसी भुगतान के ऐसे भाग, जिसे श्रम अधिकारी वेतन अवधि के सम्बन्ध में उपयुक्त समझे, जिसमें वह असफल रहा हो अथवा निरंतर असफल रहा हो, का भुगतान पाने का हकदार नहीं होगा,

बशर्ते कि श्रम अधिकारी इस उप अनुच्छेद के तहत कोई निर्णय लेता है, उससे पहले सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिक को कारण बताने का एक अवसर दिया जाएगा।

45. अनुशासनिक प्रक्रिया:—(1) कार्मिक अधिकारी, किसी शिकायत पर या अन्यथा सूचना मिलने पर कि सूचीबद्ध नियोक्ता स्कीम के उपबंधों का पालन करने में असफल रहा है, मामले की जांच करने के बाद।

(i) उसे लिखित चेतावनी देगा, या

(ii) यदि उसके विचार में कोई उच्च दण्ड उपयुक्त है, मामले की रिपोर्ट उपाध्यक्ष को देगा।

(2) उपाध्यक्ष तब, उपयुक्त समझी जाने वाली आगे की जांच कराएगा और उस नियोक्ता के संबंध में निम्नलिखित कोई कार्रवाई करेगा, अर्थात वह—

(क) नियोक्ता की निंदा करेगा और निंदा को उसकी रिकार्ड शीट में रिकार्ड करेगा, या

(ख) बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर और नियोक्ता को लिखित रूप में एक महीने की नोटिस के बाद निदेश दे सकता है कि नियोक्ता का नाम ऐसी अवधि के लिए, जो बोर्ड द्वारा नियत की जाए या हमेशा के लिए, यदि बोर्ड द्वारा ऐसा समझा

जाता है, नियोक्ताओं के रजिस्टर में निकाल दिया जाएगा ।

3. (i) पूल का कोई जनरल पूल श्रमिक जो स्कीम के किसी उपबंध का अनुपालन करने में असफल रहता है, या अनुशासनहीनता अथवा कदाचार का कोई कार्य करता है उसके विरुद्ध श्रम अधिकारी को लिखित रिपोर्ट की जाएगी।

(ii) श्रम अधिकारी, मामले की जांच करने के बाद उस श्रमिक के संबंध में निम्नलिखित कोई कार्रवाई करेगा, अर्थात् वह:—

(क) नियत करेगा कि ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह उपयुक्त समझे, वह श्रमिक किसी भुगतान या क्लाज 43 के अंतर्गत आंशिक भुगतान का हकदार नहीं होगा,

(ख) उसे लिखित चेतावनी दे, या

(ग) अधिक से अधिक 10 दिनों की अवधि के लिए बिना वेतन निलंबित करे ।

(iii) ऐसे मामले में जिसमें सब क्लाज (1) के अन्तर्गत श्रम अधिकारी को रिपोर्ट की जाती है तथा उसका यह विचार हो कि अनुशासनहीनता या कदाचार का मामला इतना गंभीर है कि श्रमिक को और आगे काम करने की अनुमति न दी जाए, श्रम अधिकारी मामले की जांच लंबित रहने तक श्रमिक को निलंबित करे और तत्काल उपाध्यक्ष को रिपोर्ट करे, जो मामले की प्रारंभिक जांच के बाद उस आदेश को पारित करेगा कि अंतिम आर्डर लंबित रहने तक श्रमिक को निलंबित रखा जाए अथवा नहीं,

(iv) जहां किसी श्रमिक को मद (iv) के अंतर्गत किसी आदेश के द्वारा निलंबित किया गया है, उसे उसके निलंबन की तारीख से प्रारंभिक नब्बे दिनों के लिए उसके मूल वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों का वह आधा निर्वाह भत्ता दिया जाएगा जो यदि वह वेतनयुक्त अवकाश पर जाने पर लेने का हकदार होता, और उसके बाद, अध्यक्ष असाधारण मामलों में, ऐसे मूल वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों का तीन चौथाई भाग ज्यादा निर्वाह भत्ता के रूप में दे सकता है :

बशर्ते कि जहां ऐसी जांच श्रमिक पर आरोपित प्रत्यक्ष कारणों से नब्बे दिनों की अवधि से अधिक चलती है, नब्बे दिनों से अधिक उस अवधि के लिए निर्वाह भत्ता कम करके मूल वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों का एक चौथाई कर दिया जाएगा ।

(v) इस प्रकार दिया गया निर्वाह भत्ता किसी भी मामले में वसूल या जब्त नहीं किया जा सकेगा ।

(vi) जहां उपाध्यक्ष इस निर्णय पर पहुंचता है कि अनुशासनहीनता या कदाचार के आरोप की जांच लंबित रहने तक श्रमिक के निलंबन के आदेश नहीं होने चाहिये थे, या व्यापक जांच होने के बाद श्रमिक, उस पर लगाए गए आरोपों का दोषी नहीं पाया जाता है, श्रमिक प्रशासनिक निकाय से ऐसे भुगतान का हकदार होगा जो उपाध्यक्ष द्वारा निर्णित की जाए ।

बशर्ते कि इस प्रकार दी जाने वाली धनराशि में से किसी विशेष अवधि के लिये देय या पहले दी जा चुकी निर्वाह भत्ता राशि कम कर दी जाएगी ।

4. जहां, श्रम अधिकारी के विचार में, सब क्लॉज, 3 की मद (2) और (3) में उल्लिखित दण्ड से बड़ा दण्ड उपयुक्त है, वह इसकी सूचना उपाध्यक्ष को देगा ।

5. सब-क्लॉज (4) के अंतर्गत श्रम अधिकारी से या नियोक्ता अथवा अन्य किसी व्यक्ति से रिपोर्ट मिलने पर कि पूल का कोई जनरल पूल श्रमिक स्कीम के किसी उपबन्ध का अनुपालन करने में असफल रहा है या उसने अनुशासन-हीनता अथवा कदाचार का कार्य किया है, मानक उत्पादन प्रस्तुत करने में असफल रहा है अथवा स्कीम के उपबन्धों का एक से अधिक बार उल्लंघन किया है या अन्य किसी रूप में अकुशल रहा है, उपाध्यक्ष ऐसी भावी जांच करे, जो वह उपयुक्त समझे और उसके बाद संबंधित श्रमिक के संबंध में निम्नलिखित कोई कार्रवाई करे अर्थात् वह निम्न-लिखित कोई दण्ड लगा सकता है :

(क) नियत करे कि ऐसी अवधि के लिये जो वह उपयुक्त समझे मजदूर क्लॉज 43 के अंतर्गत किसी भुगतान या अंश भुगतान का हकदार नहीं होगा,

(ख) उसे लिखित सूचना दे;

(ग) उसे अधिक से अधिक तीन महीने की अवधि के लिय बिना वेतन निलंबित करे—

(घ) 14 दिनों की नोटिस या उसके स्थान पर महंगाई भत्ते के साथ 14 दिनों का वेतन देकर उसकी सेवाएं समाप्त करे, या

(ङ) उसे बरखास्त करे ।

6. इस क्लॉज के अंतर्गत कोई निर्णय लेने से पहले, संबंधित व्यक्ति को कारण बताने का अवसर दिया जाएगा कि उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई क्यों नहीं की जाए और ऐसा व्यक्ति यदि ऐसा चाहे, उस कार्रवाई के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है, अंतिम आदेश की एक प्रति भी संबंधित व्यक्ति को भेजी जाएगी ।

7. प्रशासनिक निकाय को भी इस क्लॉज के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के बारे में साथ साथ सूचित किया जाएगा ।

8. क्लॉज 44 और 45 में निहित किसी बात के न होने के बावजूद नीचे दी गई टेबल के कालम (2) में निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित टेबल के कालम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियां उक्त टेबल

के कालम (3) की संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भी उपयोग में लाई जा सकेंगी ।

कार्रवाई करने के लिये शक्ति प्राप्त अधिकारी	जिस क्लाज के अंतर्गत शक्तियां दी गई हैं ।	विशिष्ट मामलों में कार्रवाई करने के लिये शक्ति प्राप्त प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)
1. श्रम अधिकारी	क्लॉज 44 और 45	प्रशासनिक निकाय
2. कामिक अधिकारी	क्लॉज 45	उपाध्यक्ष या अध्यक्ष
3. उपाध्यक्ष	क्लॉज 45	अध्यक्ष

(9) अध्यक्ष की शक्तियों को प्रतिकूल प्रभाव के बिना, क्लॉज 46 के अंतर्गत किसी सूचीगत नियोक्ता को, उसके अधीन कार्यरत मासिक श्रमिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की पूरी शक्ति होंगी ।

46. अध्यक्ष की विशेष अनुशासनिक शक्तियां :

(1) स्कीम में निहित किन्हीं बातों के बावजूद यदि अध्यक्ष सहमत है कि जनरल पूल श्रमिकों के किसी गैंग द्वारा या किसी विशेष श्रमिक द्वारा "गो स्लो" किया गया है और उसी गैंग या श्रमिक अथवा श्रमिकों के विभिन्न गैंगों द्वारा जारी रखा जा रहा है या दोहराया जा रहा है, वह उस आशय की लिखित घोषणा कर सकेंगे । जब सब क्लॉज (1) के अंतर्गत कोई घोषणा की जाती है, वह अध्यक्ष के लिए विनिसम्मत होगी—

(i) मासिक श्रमिकों के संबंध में, सूचीगत नियोक्ताओं के अधिकारों के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, ऐसे श्रमिकों के विरुद्ध बरखास्तगी सहित ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई करना जो वह उचित समझे और

(ii) पूल में जनरल पूल श्रमिकों के मामलों के ऐसे श्रमिकों के विरुद्ध बरखास्तगी सहित ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई करना जो वह उचित समझे और उस अवधि या अवधियों जिसमें "गो स्लो" रखा गया है, के लिये उनका गारंटी प्राप्त न्यूनतम वेतन तथा वेतन के लिये उपस्थिति भत्ता जब्त करने का आदेश भी देना ।

(3) अध्यक्ष अनुशासनिक कार्रवाई करेगा ।

(i) जहां किसी गैंग द्वारा "गो स्लो" रखा गया है, गैंग के सभी सदस्यों के विरुद्ध; और

(ii) जहां किसी श्रमिक द्वारा "गो-स्लो" रखा जाता है, श्रमिक के विरुद्ध ।

(4) किसी श्रमिक या श्रमिकों की किसी गैंग के विरुद्ध इस क्लॉज के अंतर्गत किसी अनुशासनिक कार्रवाई करने से पहले उस श्रमिक या उस गैंग के कारण बताने का एक अवसर दिया जाएगा कि उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई क्यों नहीं की जाए;

बशर्ते कि अध्यक्ष, इस सब क्लॉज के अंतर्गत कारण बताने का अवसर देने से पहले किसी भी श्रमिक या श्रमिकों की गैंग को, सब क्लॉज (i) के अंतर्गत एक घोषणा किये जाने के तत्काल बाद कार्य से निलंबित कर सकते हैं ।

(5) (क) जहां किसी श्रमिक को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया जाता है, उसे उसके निलंबन की तारीख से प्रारंभिक नब्बे दिनों के लिये उसके मूल वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों का आधा वह निर्वाह भत्ता दिया जाएगा जो यदि वह वेतनयुक्त अवकाश पर होने पर लेने का हकदार होता और उसके बाद अध्यक्ष, असाधारण मामलों में ऐसे मूल वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों का तीन चौथाई भाग ज्यादा निर्वाह भत्ता के रूप में दे सकेगा;

बशर्ते कि जहां ऐसी जांच श्रमिक पर प्रत्यक्ष रूप से आरोपित कारणों से नब्बे दिनों की अवधि से आगे चलती है, नब्बे दिनों से अधिक अवधि के लिए श्रमिक को निर्वाह भत्ता मूल वेतन, महंगाई एवं अन्य भत्तों के एक चौथाई तक सीमित कर दिया जाएगा ;

(ख) इस प्रकार दिया गया निर्वाह भत्ता किसी भी स्थिति में वसूल या जब्त नहीं किया जा सकेगा ।

(ग) जहां कोई श्रमिक दोषी नहीं पाया जाता है, वह अपने निलंबन की अवधि के संबंध में उस भुगतान का हकदार होगा जो प्रशासनिक निकाय प्रमाणित करे कि यदि वह निलंबित नहीं किया जाता तो समय दर आधार या क्लॉज 33 के अंतर्गत प्राप्त करता, बशर्ते कि इस प्रकार दी जाने वाली धनराशि, उस अवधि के दौरान दिए गए निर्वाह भत्ते को निकाल कर दी जाएगी ।

(6) कोई जनरल पूल श्रमिक जो सब क्लॉज 2 के अंतर्गत अध्यक्ष के किसी आदेश द्वारा प्रभावित है, वह आदेश मिलने की तारीख से 30 दिनों के अंदर केन्द्र सरकार को अपील कर सकेगा ।

47. रोजगार का समापन :—(1) किसी जनरल पूल श्रमिक का रोजगार, स्कीम के उपबंधों के अनुसार छोड़ कर समाप्त नहीं किया जा सकेगा ।

(2) पूल का कोई जनरल पूल श्रमिक बोर्ड को 14 दिनों का लिखित नोटिस दिए बिना अथवा उसके स्थान पर महंगाई भत्ते के साथ चौदह दिनों के वेतन के परित्याग किए बिना बोर्ड से अपना रोजगार नहीं छोड़ेगा ।

(3) जब बोर्ड में किसी जनरल पूल श्रमिक का रोजगार उक्त सब क्लॉज (1) और सब क्लॉज (2) के

अंतर्गत समाप्त कर दिया जाता है, प्रशासनिक निकाय द्वारा उसका नाम सूची या रिकॉर्ड से तत्काल हटा दिया जाएगा ।

48. श्रमिकों द्वारा अपील :—इस क्लॉज में यदि ऐसा अन्यथा प्रावधान न हों, पूल का कोई श्रमिक जो नीचे दिए गए टेबल के कालम (2) में निर्दिष्ट उपबन्धों के तहत उक्त टेबल के कॉलम (1) में निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से प्रभावित है, वह उक्त टेबल के कॉलम (3) में परवर्ती प्रविष्टि में निर्दिष्ट प्राधिकारी को उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा ।

टेबल

आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी	प्रावधान जिसके अंतर्गत आदेश जारी किया गया है	अपीली प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)
श्रम अधिकारी	क्लॉज 44 या 45	उपाध्यक्ष
प्रशासनिक निकाय	क्लौज 44 या 45	उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष	क्लॉज 45	अध्यक्ष
अध्यक्ष	क्लॉज 45	केन्द्र सरकार

बशर्ते कि जहां उपाध्यक्ष प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करते हुए आदेश जारी करता है वहां उक्त आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष को अपील की जा सकेगी ।

(2) कोई श्रमिक जो किसी आदेश से प्रभावित है—

(i) जिसे सूची या रिकॉर्ड में किसी विशेष ग्रुप में रखना;

(ii) क्लॉज 20 के अंतर्गत सूची में शामिल करने से इन्कार करना; या

(iii) क्लॉज 38 के सब क्लॉज 4 के मद (ग) के तहत उससे ऐसे कार्य लेने पर जो उस वर्ग का नहीं है जिससे वह संबंधित है, अध्यक्ष को अपील कर सकेगा । ऐसी किसी अपील पर सुनवाई नहीं की जाएगी जहां किसी जनरल पूल श्रमिक का नाम सूची या रिकार्ड से बोर्ड के अनुदेश के अनुसार हटाया गया है यदि हटाने का आधार यह है कि जनरल पूल श्रमिक ऐसे श्रमिकों के क्लास या डिस्क्रिपशन में आता है, जिनके नाम सूची या रिकार्ड से, उसका आकार कम करने के क्रम में हटाए जाने है;

बशर्ते कि अध्यक्ष ऐसी अपील पर सुनवाई करेगा जिसमें जनरल पूल श्रमिक यह आरोप लगाता है कि वह श्रमिकों के उस वर्ग या श्रेणी से संबंधित नहीं है जो बोर्ड के अनुदेशों उल्लिखित है ।

(3) सब क्लॉज (1) या सब क्लॉज (2) में उल्लिखित प्रत्येक अपील लिखित रूप में और जिस आदेश के विरुद्ध अपील करनी है उस आदेश के प्राप्त होने की तारीख से 14 दिनों के अंदर की जाएगी ।

बशर्ते कि अपीली प्राधिकारी, रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों से, 14 दिनों के समाप्त होने के बाद की गई अपील को स्वीकार करेगा ।

(4) अपीली प्राधिकारी, अपील करने वाले को सुनवाई का एक अवसर देने के बाद यदि वह ऐसा चाहता है, और लिखित रूप में दिए जाने वाले कारणों से ऐसा आदेश देगा जो वह उपयुक्त समझे ।

(5) सब क्लॉज (4) के अंतर्गत पारित प्रत्येक आदेश अपील करने वाले को भेजा जाएगा ।

(6) अपील करने वाला कोई व्यक्ति, अपीली प्राधिकारी के समक्ष किसी लीगल प्रेक्टिशनर द्वारा प्रतिनिधित्व कराने का हकदार नहीं होगा, लेकिन वह उस पंजीकृत मजदूर संघ, जिसका वह सदस्य है, के किसी प्रतिनिधि द्वारा या किसी जनरल पूल श्रमिक द्वारा प्रतिनिधित्व कराने का हकदार होगा ।

49. नियोक्ताओं द्वारा अपील :—(1) (क) ऐसा सूचीगत नियोक्ता जो क्लॉज 45 के सब क्लॉज (1) के मद (1) के तहत कार्मिक अधिकारी के किसी आदेश द्वारा प्रभावित है, उपाध्यक्ष को अपील करेगा ।

(ख) ऐसा सूचीगत नियोक्ता जो क्लॉज 45 के सब क्लॉज 2 के तहत उपाध्यक्ष के किसी आदेश से प्रभावित है, अध्यक्ष को अपील करेगा । क्लॉज 45 के सब क्लॉज (1) अथवा सब क्लॉज (2) के तहत किसी आदेश के विरुद्ध अपील अध्यक्ष को उनके निर्णय के लिये की जाएगी । क्लॉज 45 के सब क्लॉज (2) या सब क्लाज (6) के तहत किसी आदेश के विरुद्ध की गई किसी अपील के मामले में, अध्यक्ष वह मामला तत्काल केन्द्र सरकार को भेजेगा । केन्द्र सरकार ऐसी अपील पर वह आदेश देगी जो वह उपयुक्त समझे ।

(2) ऐसा सूचीगत नियोक्ता जिसे क्लॉज 16 के सब क्लाज (1) के मद (ग) के तहत सूची में शामिल करने से इन्कार कर दिया गया है, केन्द्र सरकार को अध्यक्ष के माध्यम से अपील करेगा । केन्द्र सरकार उस अपील पर ऐसा आदेश देगी जो वह उपयुक्त समझे ।

(3) यदि कोई सूचीगत नियोक्ता क्लॉज 45 के तहत अध्यक्ष के, उसके विरुद्ध किसी मूल आदेश से प्रभावित है वह केन्द्र सरकार को अपील करेगा । केन्द्र सरकार अपील पर ऐसा आदेश देगी जो वह उपयुक्त समझे ।

(4) सब क्लॉज (1), (2) और (3) में उल्लिखित प्रत्येक अपील लिखित रूप में और जिन आदेश के विरुद्ध अपील करनी है, उस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों के अंदर की जाएगी;

बशर्ते कि अपीली प्राधिकारी रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से 14 दिनों की समाप्ति के बाद की गई किसी अपील को स्वीकार करेगा ।

(5) अपील करने वाला कोई व्यक्ति अपीली प्राधिकारी के समक्ष किसी लीगल प्रेक्टिशनर द्वारा प्रतिनिधित्व कराने का हकदार नहीं होगा, लेकिन वह उस सूचीगत नियोक्ता संघ जिसका वह सदस्य है के किसी प्रतिनिधि द्वारा या किसी सूचीगत नियोक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व करने का हकदार होगा ।

50. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की संशोधन-शक्तियां :— इस स्कीम में निहित किसी बात के बावजूद अध्यक्ष क्लॉज 45 के अंतर्गत उपाध्यक्ष द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में, या उपाध्यक्ष उक्त क्लॉज के अंतर्गत कार्मिक अधिकारी या श्रम अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में, किसी भी समय किसी कार्यवाही के रिकार्ड को जिसमें उपाध्यक्ष का कार्मिक अधिकारी अथवा श्रम अधिकारी ने आदेश पारित किये थे रिकार्ड को उसकी वैधता या उपयुक्तता पर स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से मांगेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह उपयुक्त समझे;

बशर्ते कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इस क्लॉज के अंतर्गत कोई ऐसा आदेश पारित नहीं करेगा जो किसी व्यक्ति को सुनवाई का उचित किए अवसर दिए बिना उस व्यक्ति के हित को प्रतिकूल प्रभाव डाले ।

51. कतिपय अपीलों के संबंध में स्टे आर्डर : —जहां किसी श्रमिक द्वारा 14 दिनों की नोटिस पर सेवा समाप्त करने के आदेश के विरुद्ध क्लॉज 48 के उपबंधों के अनुसार अपील की जाती है या जहां किसी नियोक्ता द्वारा क्लॉज 45 के सब क्लॉज (2) के मद (ख) के तहत नियोक्ता सूची से उसका नाम हटाने के किसी आदेश के विरुद्ध क्लॉज 48 के उपबन्धों के अनुसार अपील की जाती है, अपीली प्राधिकारी अपील की सुनवाई और निपटान के लंबित रहने तक अपील के आदेश के परिचालन को स्थगित रखेगा ।

52. किसी आपात स्थिति में कार्रवाई करने के विशेष प्रावधान :—(1) यदि किसी समय अध्यक्ष संतुष्ट है कि ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है जो पत्तन के कार्य को प्रभावित करेगी वह लिखित आदेश द्वारा और ऐसी अवधि के लिये जो वह समय-समय पर उसमें निर्दिष्ट करे, उस आशय की घोषणा करेगा :—

बशर्ते कि ऐसी कोई भी घोषणा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं की जाएगी ।

(2) जब तक सब क्लाज (1) के अंतर्गत कोई आदेश प्रभावी है निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे अर्थात :—

(i) यदि कोई आरोप लगाया जाता है कि कोई सूचीगत नियोक्ता स्कीम के प्रावधानों का पालन करने में असफल रहा है अध्यक्ष आरोप की संक्षिप्त जांच करने के बाद उस नियोक्ता के संबंध में निम्नलिखित कोई कार्रवाई करेगा, अर्थात वह

(क) सूचीगत नियोक्ता को लिखित चेतावनी देगा या

(ख) निदेश देगा कि नियोक्ता सूची से नियोक्ता का नाम या तो हमेशा के लिए या उस अवधि के लिए जो वह नियत करे तत्काल निकाल दिया जाएगा ।

बशर्ते कि सब क्लाज (ख) के अंतर्गत ऐसा निष्कासन नियोक्ता को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद को छोड़ कर नहीं किया जाएगा ।

(ii) यदि किसी जनरल पूल के श्रमिक विरुद्ध अनुशासनहीनता, "गो स्लो" या कदाचार का आरोप लगाया जाता है, अध्यक्ष, जांच के लंबित रहने तक उसे तत्काल निलंबित करेगा आरोप कि संक्षिप्त जांच करेगा और श्रमिक के विरुद्ध निम्नलिखित कोई एक या अधिक कार्यवाई करेगा अर्थात वह

(क) निश्चित करेगा कि वह श्रमिक उस अवधि के लिए जैसी कि वह उचित समझे क्लाज 43 के तहत किसी भुगतान का हकदार नहीं होगा,

(ख) उसे लिखित चेतावनी देगा,

(ग) उसे अधिक से अधिक तीन महीनें की अवधि के लिए बिना वेतन निलंबित करेगा,

(घ) 14 दिनों का नोटिस या उसके स्थान पर महंगाई भत्ता सहित 14 दिनों का वेतन देने के बाद उसकी सेवाएं समाप्त करेगा, या

(ङ) उसे बरखास्त करेगा ।

बशर्ते कि श्रमिक की सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद को छोड़ कर उप मद (घ) के अंतर्गत समापन या उप मद (ङ) के अंतर्गत बरखास्ती नहीं की जाएगी ।

(3) सूचीगत नियोक्ताओं और जनरल पूल श्रमिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित स्कीम के प्रावधान सब क्लाज (2) के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा पारित किसी आदेश पर लागू नहीं होंगे ।

(4) जहां किसी जनरल पूल श्रमिक को जांच लंबित रहने तक निलंबित रखा गया है उसे निलंबन की तारीख से प्रारंभिक नब्बे दिनों की अवधि के लिए मूल वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों का आधा वह निर्वाह भत्ता दिया जाएगा जो यदि वह वेतनयुक्त अवकाश पर जाने पर लेने का हकदार होता, और उसके बाद अध्यक्ष, असाधारण मामलों में ऐसे मूल वेतन महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों का अधिक से अधिक तीन चौथाई अधिक निर्वाह भत्ता के रूप में देगा ।

बशर्ते कि जहां ऐसी जांच श्रमिक पर आरोपित प्रत्यक्ष कारणों से, नब्बे दिनों की अवधि से अधिक चलती है, नब्बे दिनों से अधिक अवधि के लिए निर्वाह भत्ता कम करके मूल वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों का एक चौथाई कर दिया जाएगा ।

(5) इस प्रकार दिया गया निर्वाह भत्ता किसी भी मामले में वसूल या जब्त नहीं किया जा सकेगा।

(6) जहां श्रमिक दोषी नहीं पाया जाता है ऐसे मामले में वह अपने निलंबन की अवधि के संबंध में उस भुगतान का हकदार होगा जो प्राधिकृत निकाय प्रकाशित करेगा कि यदि वह निलंबित नहीं किया जाता तो समय दर आधार पर या क्लाज 33 के अंतर्गत प्राप्त करता, बशर्ते कि इस प्रकार दी जाने वाली धनराशि उस अवधि के लिए दिए गए निर्वाह भत्ते को घटा कर दी जाएगी।

(7) कोई जनरल पूल श्रमिक या सूचीगत नियोक्ता जो सब क्लाज (2) के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा पारित किसी आदेश से प्रभावित है, आदेश प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर केन्द्र सरकार को अपील करेगा।

(8) स्कीम में किसी बात के होने के बावजूद सब क्लाज (1) के अंतर्गत जब तक कोई आदेश लागू है अध्यक्ष सूचीगत नियोक्ताओं द्वारा गैरसूचीगत श्रमिकों के सीधे रोजगार और ऐसे गैरसूचीगत श्रमिकों की सीधे भुगतान को प्राधिकृत करेगा।

53. अंतरपरिवर्तनीय ओर डिप्लायमेंट – एक सूचीबद्ध सामान्य पूल श्रमिक और सूचीबद्ध मासिक श्रमिक, रोजगार में जैसा कि स्कीम के तहत सूचीबद्ध करने से पहले प्रचलित था, मैनिंग स्कैल और डिप्लायमेंट में लचीलेपन को बनाए रखने के लिए सहमत होगा कार्य की आवश्यकतानुसार स्कीम के तहत उनकी विभिन्न अन्य वर्गों में अंतर अदला-बदली की जा सकेगी।

54. स्कीम की परिचालन लागत – (1) स्कीम की परिचालन लागत सूचीगत नियोक्ताओं द्वारा बोर्ड को किए गए भुगतान द्वारा अदा की जाएगी। प्रत्येक भूमिगत नियोक्ता बोर्ड को जनरल पूल श्रमिकों के संबंध में लेवी के माध्यम से एक साथ और एक ही समय क्लाज 39 के सब क्लाज (5) के मद (1) के तहत उस पर बकाया कुल वेतन के भुगतान के रूप में ऐसी राशि देगा जो बोर्ड सूचीगत नियोक्ताओं को समय-समय पर लिखित आदेश द्वारा निर्धारित करेगा :

बशर्ते कि यह रिसीट क्लर्क और सुपरवाइजर जो मासिक सूची में है, के संबंध में सूचीगत नियोक्ताओं से ऐसे वर्गों के संबंध में स्कीम के परिचालन की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए उपयुक्त लेवी भी ली जाएगी।

(2) यह निर्धारण करने में कि सब क्लाज (1) के अंतर्गत सूचीगत नियोक्ताओं को कितना भुगतान करना है, बोर्ड कार्य या श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए लेवी की विभिन्न दर नियत करेगा बशर्ते कि लेवी की दर इस प्रकार नियत की जाएगी कि लेवी की वही दर सभी सूचीगत नियोक्ताओं जो समान परिस्थितियों में हैं पर लागू होगी।

(3) बोर्ड, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना दिहाड़ी दर के आधार पर परिकलित अनुमानित कुल वेतन बिल की सौ प्रतिशत से अधिक किसी लेवी को संग्रहीकृत नहीं करेगा।

(4) सूचीगत नियोक्ता मांग करने पर बोर्ड को डिपोजिट के माध्यम से भुगतान करेगा या सब क्लाज (1) में उल्लिखित धनराशि के बकाया भुगतान के लिए वह अन्य संभूति देगा जो बोर्ड आवश्यक समझेगा।

(5) प्रशासनिक निकाय बोर्ड को समय-समय पर ऐसे आंकड़े और अन्य सूचना देगा जो स्कीम के परिचालन एवं वित्त पोषण के संबंध में औचित्यतः अपेक्षित होगी।

(6) यदि कोई सूचीगत नियोक्ता सब क्लाज (1) के अंतर्गत उस पर बकाया या अन्य किसी बकाया एवं अन्य किसी क्षमता या लेखा में बोर्ड को देय धनराशि का प्रशासनिक निकाय द्वारा निर्धारित समय में भुगतान करने में असफल रहता है, प्रशासनिक निकाय नियोक्ता को इस आशय का नोटिस देगा कि यदि वह बकाया राशि का भुगतान इस नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से तीन दिनों के अंदर नहीं कर देता है तो जनरल पूल श्रमिकों को उसे की जाने वाली सप्लाई रोक दी जाएगी। नोटिस अवधि के समाप्त होने पर प्रशासनिक निकाय दोषी नियोक्ता को जब तक वह धनराशि का भुगतान नहीं करता है जनरल पूल श्रमिकों को सप्लाई रोक देगा।

55. भविष्य निधि एवं उपदान :— (1) सूचीगत नियोक्ताओं और जनरल पूल श्रमिकों के बीच हुए किसी करार के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना श्रमिकों के संबंध में बोर्ड और अपने मासिक श्रमिकों के संबंध में सूचीगत नियोक्ता अंशदायी भविष्य निधि की व्यवस्था के लिए नियम बनायेंगे एवं परिचालित करेंगे। नियमों में श्रमिकों एवं नियोक्ताओं के अंशदान की दर, भुगतान का तरीका एवं पद्धति तथा अन्य ऐसे मामलों की व्यवस्था होगी जो आवश्यक समझे जाएं।

बशर्ते कि मासिक श्रमिकों पर लागू नियम पूल के श्रमिकों से संबंधित नियमों से कम अनुकूल नहीं होंगे।

(2) सूचीगत नियोक्ताओं और जनरल पूल श्रमिकों के बीच हुए किसी करार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड जनरल पूल श्रमिकों उपदान के भुगतान के लिए नियम बनाएगा।

56. दण्ड : क्लाज 40 का उल्लंघन पहले उल्लंघन के संबंध में अधिकतम 3 महीनों की कैद, या बाद में किए जाने वाले अन्य उल्लंघन के लिए 6 महीने की कैद अथवा पहले उल्लंघन के लिए रु० पांच सौ के दंड या बाद में किये जाने वाले उल्लंघन के लिए एक हजार रु० के दंड या उक्त कैद एवं अर्थ दंड दोनों सहित दण्डनीय होगा।

अनुसूची I

गैरपंजीकृत डाक जनरल पूल श्रमिक वर्ग-जिन पर स्कीम लागू होती है –

1. सुपरवाइजर

2. रिसीट क्लर्क

3. रिगर फोरमैन

4. जनरल परपज मजदूर—जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

(i) मजदूर

(ii) बास्केट मेंडर

(iii) ट्रिमिंग स्टिचर

(iv) क्लीनिंग मजदूर

(v) नेट स्लिंग मेंडर

(vi) कारपेंटर

(vii) रिगिंग मजदूर

अनुसूची II

गैरपंजीकृत डाक जनरल पूल श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के मुख्य कार्य-दायित्व

1. सुपरवाइजर . (क) चीफ आफिसर कंपनी सुपरवाइजर को उनके कार्यों में सहायता करना और स्टेवीडोरिंग कंपनी की ओर से सुपरवाइजर के रूप में काम करना ।

(ख) डाक लेबर बोर्ड और जनरल पूल श्रमिकों को काम देना और उनसे काम लेना तथा पर्यवेक्षण करना ।

(ग) जहाज पर स्टेवीडोर नियोक्ताओं के प्रतिनिधि के रूप में काम करना और स्टीमर कार्यकरण पर स्टेवीडोरिंग कंपनी द्वारा उसे दिए गए आदेशों को पूरा करना ।

(घ) प्रत्येक पारी में कार्यप्रणाली क्रम तैयार करने के लिए विशेष रूप से रिसीट क्लर्क के साथ निकटता से काम करना और कार्यप्रणाली के अनुसार और स्टेवीडोर नियोक्ताओं या जहाज अधिकारी के अनुदेशों के अनुसार जहाज की लोडिंग व अनलोडिंग का पर्यवेक्षण करना ।

(ङ) स्टोवेज प्लान के अनुसार स्टेवीडोर नियोक्ता या जहाज कार्मिक द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसार कार्गो के समुचित स्टोवेज पर विशेष ध्यान देना और किसी आयात जहाज के मामले में क्षति न होने देने के लिए कार्गो की समुचित हैंडलिंग करना ।

(च) दोषी श्रमिकों के विरुद्ध रिपोर्ट तैयार करना और प्रस्तुत करना ।

(छ) किसी पारी में कार्य के दौरान उत्पन्न हुई गतिविधियों की स्टेवीडोरों या उनके/बोर्ड के कार्यालयों को रिपोर्ट देना और स्टेवीडोरिंग के प्रबंध में किसी भी मामले पर अनुदेश लेना ।

(ज) जहाज पर रिसीट क्लर्क के साथ किये जाने वाले कार्य में समन्वय करना और पर्यवेक्षण करना कि लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य के समुचित गतिशील एवं कुल निष्पादन के लिए सभी पर्यवेक्षकीय श्रमिकों द्वारा उचित ध्यान दिया जा रहा है ।

2. रिसीट क्लर्क –

(क) जहाजों पर बिल्टि तैयार करना, नोटस का मैनीफस्टेशन, मेट रिसीट और टेलीशीटस एकत्र करना आदि जैसे जहाज पर किये जाने वाले पूरे डाकूमेंटेशन कार्य का पर्यवेक्षण करना और प्रभारी होना ।

(ख) जहाज पर लदान किए जाने के आशय के कार्गो के स्टोवेज प्लान को अंतिम रूप देने को ध्यान में रखते हुए चीफ आफिसर और स्टेवीडोर नियोक्ता के संपर्क में रहना तथा कार्यान्वियन के लिए समय-समय पर स्टोवेज में किसी परिवर्तन के जहाज अधिकारी या स्टेवीडोर नियोक्ता के अनुदेश लेना ।

(ग) आयात जहाज पर, जहाज के आने पर वह कार्गो के विवरण एकत्र करेगा और जहाज अधिकारी और स्टेवीडोर नियोक्ताओं के निकट सम्पर्क में कार्यक्रम डिस्चार्ज करेगा ।

(घ) पिछले दिन लादे या उतारे गए कार्गो की दैनिक प्रातः कालीन रिपोर्ट तथा अन्य ऐसे विवरण जो अपेक्षित होंगे तैयार करेगा और जारी करेगा जैसे प्रत्येक सुबह को उपलब्ध कार्गो की सूची तथा विभिन्न विवरण और किसी आयात जहाज पर डिसचार्ज किए गए या किये जाने वाले कार्गो की सूची आदि के ब्यौरे तैयार एवं जारी करना ।

(ङ) सुपरवाइजर के सहयोग में जहाज पर कार्य की प्रत्येक पारी के लिए कार्य आर्डर को तैयार एवं अंतिम रूप देना ।

(च) जहाज पर स्टीमर एजेंटों और स्टेवीडोर नियोक्ताओं का काम करना और उन्हें ऐसी सूचना देना जो डिसचार्ज या लदान विवरण के संबंध में उससे मांगी जाए ।

(छ) किसी जहाज का काम पूरा करने पर, जहाजों, स्टीमर एजेंटों और स्टेवीडोर नियोक्ताओं को आवश्यक प्रलेख देना ।

3. रिगर फोरमैन –

(क) क्रमशः 7 रिगरों (एक विच ड्राइवर सहित) और 10 क्लीनिंग मजदूरों वाले रिगिंग गैंग और क्लीनिंग गैंग का नेतृत्व करना ।

(ख) इन गैंगों से उन्हें परिचालन पद्धति का निर्देश दे कर, कार्य लेना ।

4. जनरल परपज मजदूर –

(क) कार्गो होल्डस या टैंक बिल्ज, मोम, डेक, टनेल, एलीवे या जहाज के सफाई किए जाने की आवश्यकता वाले अन्य किसी भाग की सफाई करना ।

(ख) जहाज पर या तट पर कार्गो के कूड़े को एकत्र करना उन्हें थैलियों या अन्य पैकिंग में भरना, बांधना और उसे हटाना या हैंडल करना ।

(ग) डनेज वुड, एटिंग, पलेटस या अन्य किसी कार्गो सेपरेशन मीडिया को हैंडल, सप्लाई और ले करना ।

(घ) गन्नी बेल्स (जहाज पर या तट पर बल्क कार्गो की बैगिंग के लिए खाली गनीज की सप्लाई के उपयोग में लाए गए) की हैंडलिंग करना तथा बेल्स खोलना और जहाज पर या शेड में विभिन्न कार्य स्थानों पर गनी बैग का वितरण करना ।

(ङ.) आयात तथा निर्यात पैकेजों पर हाथ से स्टेंसिल द्वारा लिखना तथा ट्रिमिंग बैग्स की मार्किंग सहित जहाज पर या तट पर स्टेंसिल या पेंट से निशान लगाना और जहाज पर या तट पर क्षतिग्रस्त और या मरम्मतशुदा पैकेजों की सीलिंग भी करना ।

(च) कार्गो की स्टोविंग या अनस्टोविंग के लिये उपयोग में लाए गए लकड़ी या धातु के अस्थायी स्ट्रक्चर्स या फिक्चर्स की फिक्सिंग या डिसमेंटलिंग करना ।

(छ) जहाज या तट पर गीयर डिस्ट्रीब्यूशन एवं एकत्रण, बल्क कार्गो की लेवलिंग, नेट स्लिंग्स, बास्केट मेडिंग, स्टिचिंग और मरम्मत करना ।

(ज) जहाज पर डेरिक्स रिग करना, यंत्रिकृत प्रकार के हैचेज, को खोलना एवं बांधना फीडर बोर्ड को हटाना और स्टकिंग करना, कार्गो बांधना और खोलना ।

(झ) नियोक्ताओं द्वारा जब कभी अपेक्षित होने पर देय किसी जहाज के लोडिंग तथा अनलोडिंग कार्य से जुड़ा सामान्य प्रकार का अन्य कोई कार्य करना, जो डाक श्रमिकों के किसी विशेष वर्ग का निर्धारित कार्य नहीं है ।

अनुसूची III

(क्लाज 32 देखें)

किसी महीने के ऐसे दिनों की न्यूनतम सख्या जिनके लिय वेतन की गारंटी दी गई है, का मुल्यांकन निम्नलिखित प्रणाली के अनुसार तत्काल पिछले 12 महीनों के दौरान औसत रोजगार के आधार पर वार्षिक रूप में किया जाएगा :

(क) पूल में किसी विशेष वर्ग के डाक जनरल पूल श्रमिकों द्वारा प्रति माह जितनी जन पारियों मे कार्य किया गया उसकी संख्या रिकॉर्ड की जाए ।

(ख) महीने के सभी कार्य-दिवसों को पूल मे उक्त वर्ग के डॉक जनरल पूल श्रमिकों का प्रभावी संख्या रिकार्ड की जाए ।

किसी विशेष कार्य-दिवस को पूल में उक्त उल्लिखित डाक जनरल पूल श्रमिकों की प्रभावी संख्या ।	पूल में उक्त उल्लिखित वर्ग में डॉक जनरल पूल श्रमिकों की उस दिन सूचीगत संख्या ।	पूल में उक्त उल्लिखित वर्ग में प्राधिकृत अवकाश पर गए डाक जनरल पूल श्रमिकों की सं० और इन वर्गों के एक श्रमिकों की संख्या जिनकी उस दिन मृत्यु हो गई जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई ।

(ग) किसी महीने मे सभी कार्य-दिवसों को उक्त उल्लिखित वर्ग के सूचीगत डॉक जनरल पूल श्रमिकों की उक्त (ख) के अंतर्गत प्राप्त संख्या जोड़ी जाए और महीने के दौरान इन श्रमिकों की प्रभावी संख्या का पता लगाने के लिय महीने के कार्य-दिवसों से भाग दिया जाए ।

(घ) उस वर्ग के प्रति श्रमिक प्रतिमाह औसत रोजगार का पता लगाने के लिय मद (क) को मद (ग) से भाग किया जाए। 12 लगातार महीनों के लिये उक्त (घ) के अंतर्गत प्राप्त औसत को जोड़ कर 12 से भाग दिया जाए। इस प्रकार प्राप्त होने वाला औसत अगले 12 महीनों के लिये इस वर्ग के लिये न्यूनतम गारंटी होगी ।

इसे स्पष्ट करने के लिये नीचे एक उदाहरण दिया गया है :—

मान लीजिये कि मूल्यांकन जुलाई 1986 में किया जाता है और मान लीजिये कि जुलाई, 1985 से जुलाई, 1986 की अवधि के दौरान पूल के सूचीगत डाक जनरल पूल श्रमिकों की प्रभावी संख्या और उनके द्वारा जितनी जन पारियों में काम किया गया उसकी संख्या नीचे दिये गए टेबल के कॉलम (2) और (3) में दिखाई गई है :—

टेबल

महीना	प्रभावी संख्या	जनपारियों की कुल संख्या जिन में काम किया गया	प्रति श्रमिक प्रति माह औसत रोजगार
1	2	3	4
जुलाई, 1985	500	9500	19
अगस्त	490	9450	19

1	2	3	4
सितंबर	495	9300	19
अक्तूबर	485	9475	20
नवंबर	490	8200	17
दिसंबर	480	8160	17
जनवरी 1986	475	9400	20
फरवरी	485	9200	19
मार्च	490	9600	20
अप्रैल	475	8000	16
मई	500	6000	12
जून	490	7850	16

कॉलम (3) को कॉलम (2) से भाग देने पर प्रति श्रमिक प्रतिमाह औसत रोजगार ज्ञात होगा जो कॉलम (4) में दिखाया गया है ।

जुलाई 1985 से जून 1986 अवधि के दौरान एक महीने में जितने न्यूनतम दिनों के लिये वेतन की गारंटी दी जानी चाहिए ऐसे दिनों की संख्या $= \frac{19+19+19+20+17+17+20+19+20+16+12+16}{12} =$ 17.7 होगी ।

निकटतम दिन को पूरा मानने के बाद = 18 दिन ।

यद्यपि यह औसत केवल निम्नतम वर्ग के श्रमिकों के लिये परिकलित की गई है, लेकिन वह सूचीगत डाक जनरल पूल श्रमिकों के सभी वर्गों पर लागू होगी । यदि कोई नया वर्ग सूचीगत किया जाता है तो इस वर्ग की प्रारंभिक न्यूनतम गारंटी इस स्कीम के क्लाज 20(4) में उल्लिखित नए वर्गों को सूची में शामिल करने से संबंधित नियमों में किए गए उल्लेख के अनुसार निर्धारित की जाएगी :

जुलाई 1987 और उसके बाद के प्रत्येक वर्ष के लिये ऐसा ही परिकलन किया जाए । यदि किसी वर्ष दिनों की औसत संख्या ऐसे न्यूनतम दिनों की संख्या से कम है जिनके लिये वेतन की गारंटी पहले ही दी जा चुकी है, बाद वाली संख्या को कम नहीं किया जाएगा । दूसरे शब्दों में, किसी महीने के न्यूनतम दिनों की संख्या जिनके लिए वेतन की गारंटी दी जा चुकी है, धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी और कभी भी कम नहीं होगी ।

[स. एल.बी.-13013/5/86-एल.-IV (II)]

पी.वी. रात्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

New Delhi, the 12th October, 1987

NOTIFICATION

S.O. 899(E).—The following draft of the Madras Unregistered Dock General Pool Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1987, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is hereby published as required by the said sub-section, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of 45 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objection or suggestion which may be received from any person within the said period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the Madras Unregistered Dock General Pool Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1987 (hereinafter referred to as "the Scheme").

It shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette.

2. Objects and application.—(1) The objects of the Scheme are to ensure—(i) greater regularity of employment for the categories of dock general pool workers specified in Schedule I, by maintaining an adequate number of such workers available in the list of workers, (ii) the achievement of efficiency of performance in dock work and attainment of satisfactory levels of productivity and accuracy in documentation.

(2) The Scheme relates to the Port of Madras and applies to the categories of Dock General Pool workers specified in Schedule I and to the descriptions of work performed by them as specified in Schedule II :

Provided that the Scheme shall not apply to any worker unless he is employed as such or required for employment as a general pool worker.

(3) Nothing in this Scheme shall apply to any ship of Indian Navy or to cargo declared for restricted handling by the Defence Authorities.

(4) Nothing in this Scheme shall apply to any worker who is engaged in performing Chipping and Painting work in the Port.

3. Definitions.—In this Scheme, unless there is anything repugnant in the subject or context :—

(a) "Act" means the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948);

(b) "Administrative Body" means the Administrative Body appointed under clause 5;

(c) "Board" means the Madras Dock Labour Board constituted under the Act;

(d) "Chairman" means the Chairman of the Board;

(e) "Deputy Chairman" means the Deputy Chairman of the Board;

(f) "Dock Employer" means the person by whom a Listed Dock General Pool worker is employed or is to be employed and includes Shipping Companies or Steamer Agents or Stevedore Employers or Contractors; or a group of such employers;

(g) "Dock Work" means operation at places or premises to which the Scheme relates, ordinarily performed by the Listed dock General Pool workers of the classes or descriptions to which the Scheme applies;

(h) "Employers" list means the list of dock employers maintained under the Scheme;

(i) "General Pool" means a Pool of Listed Dock Receipt Clerk, Dock Supervisor, Rigger Foreman and General purpose Mazdoor who are available for work and who are not for the time being in the employment of a Listed employer or a group of dock employers as monthly workers;

(j) "Labour Officer" means the Labour Officer appointed by the Board under clause 13;

(k) "Listed Worker" means a dock worker belonging to category of Dock Receipt Clerk, Dock Supervisor, Rigger Foreman and general purpose Mazdoor whose name for the time being is entered in the records of Listed workers as maintained by the Administrative Body;

(l) "Listed Employer" means a Shipping Company or Shipping Agent or Stevedore Employer or Contractor or a group of such employers of a listed Dock Receipt Clerk, Dock Superviser, Rigger Foreman and General purpose Mazdoor whose name is for the time being entered in the employers' list;

(m) "List" or "Record" means the List of Record of Dock Receipt Clerk, Dock Supervisor, Rigger Foreman and General Purpose Mazdoors maintained under the Scheme;

(n) "Monthly Worker" means a listed Dock Receipt Clerk and Dock Supervisor who is engaged by a listed employer or a group of such employers on a monthly basis under a contract which requires for its termination at least one month's notice on either side;

(o) "Personnel Officer" means the Personnal Officer appointed by the Board under clause 6;

(p) "Rules" means the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962;

(q) "Vessel" means an ocean going cargo vessel or ship whose gross registered tonnage is not less than 350 tonnes or Lash Barges discharged from Lash Ship;

(r) "Week" mean the period commencing from midnight of any day in the week and ending on the mid-night of the next succeeding same day.

4. Constitution of the Board.—The Board shall be constituted in accordance with rules 3 to 7 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rule, 1962.

5. Administrative Body.—(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint the Madras Stevedores Association or any other authority to be the Administrative Body for the purpose of carrying on the day-to-day administration of the Scheme.

(2) The Administrative Body shall subject to the supervision and control of the Board and the Chairman and subject to the provisions of Clauses 12 and 45 carry on the day-to-day administration of the Scheme.

(3) The Central Government may, for sufficient cause, remove any Administrative Body appointed under sub-clause (1) :

Provided that the Administrative Body shall not be removed unless it has been given a reasonable opportunity of being heard.

6. Personnel Officer other Officers and Staff.—The Board may appoint a Personnal Officer and such other Officers and staff and pay them such salaries and allowances and prescribe such term and conditions of service as it deems fit :

Provided that no post the maximum salary of which, exclusive of allowances, is Rs. 2,000 and above per mensem shall be created and no appointment to such post shall be made by the Board except with the previous approval of the Central Government :

Provided further that the sanction of the Central Government shall not be necessary for any appointment in a leave vacancy of a duration of not more than three months.

7. Functions of the Board.—(1) The Board may take such measures as it may consider desirable for furthering the objects of the Scheme, including measures for :—

(a) ensuring the adequate availability of listed General Pool Workers viz., Dock Receipt Clerk Supervisory workers, Rigger Foreman and General Purpose Mazdoors for the purpose of providing the full and proper utilisation of these workers, providing for proper supervision and accurate documentation for the efficient working and facilitating rapid and economic turnround of vesels and the speedy transit of goods through the Port;

(b) fixing, increasing or decreasing, subject to the approval of Central Government, the number of workers to be listed under various categories, that is to say monthly

workers and General Pool workers, after determining the number required under such category;

(e) regulating the recruitment and entry into the discharge from the Scheme of various categories of General Pool workers set out in Schedule I and the allocation of such workers to listed employers;

(d) determining and keeping under review, the number of listed employers and General Pool workers from time to time on the lists or records and the increase or reduction to be made in the number in any such lists or record, if the said review warrants the same for better efficiency and economy of operations;

(e) keeping, adjusting and maintaining the listed employers' lists, entering or re-entering therein the name of any listed employer and where circumstances so require, removing from the list the name of any listed employer, either at his own request or in accordance with the provisions of the Scheme ;

(f) keeping, adjusting and maineaining from time to time such lists or records, as may be necessary, of listed General Pool workers including any lists of records of General Pool workers who are temporarily not available for dock work and where absence has been approved by the Administrative Body, and where circumstances so require, removing from any list or record the namo of any General Pool worker, either at his own request or in accordance with the provisions of the Scheme;

(g) the fixing or re-fixing of all listed General Pool workers into such categories as may be determined by the Board in consultation with the Administrative Body and thereafter reviewing the grouping of any General Pool workers on the application of the Administrative Body or of the General Pool workers;

(h) levying and recovering from listed employers, contributions for administering the Scheme;

(i) making provision for achieving the objects of the Scheme;

(j) maintaining and administering the listed General Pool Workers Provident Fund, Gratuity Fund and similar other funds created for specific purpose for both General Pool and monthly workers, and recovering from all listed employers contributions towards the funds in accordance with the rules framed under clause 55.

(k) ensuring interchangeability of workers under different categories, and to determine the optimum requirement of workers with regard to their employment opportunity available on the date of notification of the Scheme and from time to time thereafter;

(l) restricting the number of categories, in the event of new listing, by having as much flexibility of manning scale and deployment of workers as possible;

(m) borrowing or raising money and issuing debentures or other securities and, for the purpose of securing any debt of obligation, mortgaging or charging all or any part of the property of the Board.

(2) The income and property of the Board derived from all sources under this Scheme shall be applied solely towards the objects of the Scheme including health, safety, training and welfare measures for General Pool workers (including assistance by way of grant of loan, or otherwise to Co-operative Societies formed for the exclusive benefits of General Pool workers and the staff of the Administrative Body) and no portion thereof shall be paid or transferred directly or indirectly by way of dividend, bonus, or otherwise by way of benefit to the members of the Board;

Provided that nothing contained therein shall prevent the payment of reasonable and proper remuneration and expenses to any officer or servant of the Administrative Body or to any member of the Board in return for any services actually rendered to the Board nor prevent the payment of interest at a reasonable rate on money lent or reasonable and proper rent for premises demised or let by any member to the Board, nor prevent the incurring of expenditure on welfare measures, if any, for the staff of the Board and the Administrative Body.

(3) The Board shall cause proper accounts to be kept of the cost of operating the Scheme and of all receipts and expenses under the Scheme and shall submit to the Central Government an annual report on the working of the Scheme during the preceding year ending on the thirty-first day of March together with an audited Balance Sheet as soon as may be after the first day of April in every and not later than the thirty-first day of October and shall also submit copies of precedings of the meetings of the Board.

8. Responsibilities and Duties of the Board-In-Meeting : The Board-in-meeting shall be responsible for dealing withall matters of policy, and in particular may —

(a) subject to the prior approval of the Central Government —

(i) fix, before listing, the number of workers to be listed under various categories, after determining the number required under each category ;

(ii) increase or decrease the number of workers in any category on the list from time to time as may be necessary after a periodical review of the lists and enticipated requirements;

(iii) sanction the temporary listing under listed employers of specified number of workers in any category for a specified period, under specified terms and conditions :

(b) consider listing of new employers on the recommendation of the Chairman;

(c) prescribe forms, records, registers, statements and the like required to be maintained under the Scheme;

(d) determine the wages, allowances, leave rules and other conditions of service listed workers and refix the guaranteed minimum wages in a month after annual review;

(e) fix the rate of levy under sub-clause (1) of 54 Clause or such other administrative charges as may be necessary to meet the expenses of the Scheme;

(f) appoint, abolish or reconstitute Committees under clause 35;

(g) sanction the Annual Budget;

(h) appoint the Personnel Officer and the Labour Officer with the approval of the Central Government, where necessary ;

(i) subject to the provisions of clause 6, sanction the creation of posts, and make appointment to such posts ;

(j) make recommendations to the Central Government about any changes in Schedule I ;

(k) make recommendations to the Central Government about any modifications in the Scheme ;

(l) endeavour to settle dispute about which a request for adjudication has been made to the Central Government by the parties concerned and report to that Government the results of such endeavours ;

(m) sanction the opening of accounts in such Nationalised Banks and State Bank of India including its subsidiary banks as it may direct and the operation of such accounts by such persons as the Board may, from time to time, direct ;

(n) make such additions and alterations to the duties of the different categories of workers as specified in Schedule II, as may be considered necessary.

9. Annual Estimates.—(1) The Chairman shall, at a special meeting to be held before the end of February in each year, lay before the Board the Annual budget as received from the Administrative Body under items (b) and (i) of clause 12 of the Scheme, for the year commencing on the first day of April next ensuring, in such detail and form as the Board may, from time to time, prescribe.

(2) The Board shall consider the estimate so presented to it and shall, within four weeks of its presentation, sanction the same either unaltered or subject to such alterations as it may deem fit.

10. Responsibilities and Duties of Chairman.—(1) The Chairman shall have full administrative and executive powers to deal with all matters relating to the day-to-day administration of the Scheme, and in particular to ;

(a) ensure that the decisions of the Board in regard to the adjustment of the workers' lists are carried out expeditiously ;

(b) (i) supervise and control the working of the Administrative Body;

(ii) take suitable steps if any irregularities are detected by him or brought at his notice

(c) ensure that proper and adequate supervision is provided by the listed employers ever the workers employed on their works;

(d) ensure that the provisions of the Scheme in regard to transfer and promotion of workers are carried out.

(e) constitute Medical Boards, when required ;

(f) ensure that the conditions, laid down in the Scheme for the listing of dock employers are complied with by them;

(g) ensure that all forms, registers, returns and documents, prescribed under the Scheme, are properly maintained;

(h) sanction the creation of posts, without prejudice to the power of the Board under sub-clause (i) of clause 8, the maximum salary of which exclusive of allowances is upto rupees one thousand nine hundred and thirty per mensem and to make appointments to such posts ;

(i) take disciplinary action against workers and employers in accordance with the provisions of the Scheme;

(j) allow relaxation in the maximum number of shifts per worker, per week or per month under clause 31 and to report such cases to the Board;

(k) make reports, when necessary, to the Central Government under rule 5 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962;

(l) sanction the transfer of a listed worker from—

(i) one listed employer to another;

(ii) the General pool to a listed employer;

(iii) a listed employer to the pool as provided for in the Scheme;

(m) deal with appeals from the General Pool workers and employers under clause 48 or clause 49;

(n) fill an unexpected vacancy in the post of Deputy Chairman for a period of less than one month and report such matter to the Central Government for approval;

(o) ensure that the sanctions for temporary listing of workers are carried out without delay;

(p) declare that there has been a 'go-slow' and to take action as authorised under the Scheme;

(q) declare a 'State of emergency' and to take action as authorised under the Scheme;

(r) discharge all other duties and responsibilities as specifically vested in the Chairman under the Scheme.

(2) The Chairman may delegate in writing to the Deputy Chairman any of his functions and duties under sub-clause (i) excepting those mentioned in items (h), (k), (m), (p), (q) and (r) thereof.

11. Responsibilities and Duties of the Deputy Chairman.—The Deputy Chairman shall be a whole time Officer of the Board and shall assist the Chairman in the discharge of his functions and in particular shall—

(a) discharge all functions relating to disciplinary action against listed employers and listed workers to the extent permitted under clause 43;

(b) function as Chairman of Committee of the Board to which he may be nominated as a member;

(c) preside over the meetings of the Board in the absence of the Chairman;

(d) carry out the functions of the Administrative Body under clause 12, if he is so appointed under 5, or if there is no Administrative Body appointed under clause 5;

(e) exercise such other functions as are delegated to him in writing by the Chairman;

(f) make appointments to the posts, wtihout prejudice to the powers of the Board under clause 8 and of the Chairman under clause 10, the maximum salary of which exclusive of allowances is not more than one thousand six hundred and thirty rupees per mensem.

12. Functions, Responsibilities and Duties of the Administrative Body.

Without prejudice to the functions and powers of the Board, the Chairman and the Deputy Chairman, the Administrative Body shall be responsible for the administration of the Scheme and shall in particular be responsible for —

(a) keeping, adjusting and maintaining the employers list, entering or re-entering therein the name of any dock employer and, where circumstances so require removing from the list the name of any listed employer, either at his own request or in accordance with the provisions of the Scheme;

(b) keeping, adjusting and maintaining from time to time such lists or records as may be necessary of General Pool workers, including any lists or records of General Pool workers, who are temporarily not available for dock work and whose absence has been approved by it and where circumstances so require, removing from any list or record the name of any General Pool worker either at his own request or in accordance with the provisions of the Scheme and to carry out recruitment in any category of General Pool workers, as sanctioned by the Board from time to time;

(c) the employment and control of listed general pool workers available for work when they are not otherwise employed in accordance with the Scheme;

(d) the grouping or re-grouping of General-Pool workers in accordance with the instructions received from the Board in such groups as may be determined by the Board;

(e) authorising the employment of unilisted workers in case General Pool workers are not available for work in the General Pool or in such other circumstances as the Chairman may approve;

(f) the allocation of General Pool workers in the General Pool who are available for work to listed employers and for this purpose it shall—

(i) be deemed to act as an agent for the employers;

(ii) make the fullest possible use of General Pool workers in the General Pool;

(iii) keep the record of attendance at call points of General Pool workers ;

(iv) provide for the maintenance of record of employment and earnings of listed workers;

(v) make necessary entries in the wage cards of the workers in the Pool as laid down in clause 30;

(g) (i) the collection of levy, contribution to the Welfare Fund or any other contribution from the listed employers as may be provided under the Scheme;

(ii) the collection of the subscription to the Provident Fund from he General Pool workers and the collection of the monthly workers' subscription and the matching contributions therefor from the listed employers:

(iii) the payment as agent of the listed Dock employer to each worker of all earnings properly due to the worker from the employer and the payment to such workers of all

monies payable by the Board to those workers in accordance with the provisions of the Scheme;

(iv) the keeping of proper accounts of the cost of operating the Scheme and of all receipts and expenses under it and making and submitting to the Board an annual report and audited balance sheet;

(h) (i) the framing of the budget annually submitting the same to the Board on or before the fifteenth of February in each year and getting it approved by the Board;

(ii) maintaining complete service records of all General Pool workers;

(iii) such other functions as may, from time to time, subject to provisions of the Scheme, be assigned to it by the Board or the Chairman or the Deputy Chairman.

13. Labour Officer.—The Administrative Body when it consists of employers of listed workers shall appoint a Labour Officer or Labour Officers with the approval of the Board. The Labour Officer shall under the supervision and control of the Administrative Body, carry out such functions as may be assigned to him by that Body consistent with the provisions of the Scheme.

14. Functions of the Personnel Officer.—The Personnel Officer shall assist the Deputy Chairman generally in the discharge of his duties and shall, in particular, carry out functions vested in him under clause 45.

15. Officers appointed by the Central Government for proper working of the scheme.—(1) The Central Government may in its discretion appoint from time to time in consultation with the Chairman of the Board one or more officers and entrust to such officer or officers such functions as it may deem fit for the proper working of the Scheme.

(2) Such officer or officers shall be subject to the general supervision and conrol of the Chairman and be paid from the funds of the Board. He or they shall hold office for such period and on such terms and conditions as the Central Government may determine.

16. Maintenance of list etc.—(1) There shall be a list of Dock Employers :

(a) At the initial stage Shipping Companies or Steamer Agents or Stevodores or Contractors, who have been employing such categories of workers as is specified in Schedule I of the Scheme, shall be eligible for listing under the Scheme.

(b) Subsequent listing, if required, will be determined by the Board in accordance with the procedure laid down by it.

(c) In no case, however, shall a person or firm continue to be listed under the Scheme unless he or it has obtained a licence in that behalf from the Madras Port Trust within 12 months of the date of commencement of the Scheme.

If the licence issued to such an employer is not renewed by the Madras Port Trust for any reason, it shall automatically result in the name of the employer being suspended from the employers' list.

(d) The Board may, subject to such conditions as it may prescribe in this behalf, permit persons listed under item (a) or (b) to form one or more groups and each group so formed shall be treated as one employer only for employment of monthly workers; such group or groups of employers must also obtain a licence from the Madras Port Trust in order to operate as employer of Listed workers in the Port.

Provided that the Board shall have power to make, with the previous approval of the Central Government, such alterations or modifications in the conditions prescribed above, as it may deem necessary from time to time :

Provided further that the Board may revoke, from such date as it may specify, the permission given to any group of employers if, after giving an opportunity to the group of employers to show cause against the proposal and after considering its representations, if any, the Board is satisfied that the group of employers has failed to comply, in part or in full, with the conditions prescribed for the formation of such group, and the said group shall stand dissolved from such date.

(2) There shall be a list of dock receipt clerks, Rigger Foreman supervisors and general pool workers. The workers list shall be maintained in the form prescribed by the Board for this purpose. The record of workers shall be maintained by the Board as under :—

(a) (i) LIST 'A' : Category-wise list of receipt clerk, supervisor, other than the receipt clerk and supervisor included in the General Pool, who are engaged by the Listed Employers on contract on monthly basis, and who are known as 'MONTHLY WORKERS'.

The Supervisors and Receipt Clerks who were in the monthly employment at the time of commencement of the Scheme shall be permitted in this list after scrutiny of age, medical fitness and verification of character and antecedents.

The Chairman may allocate to different employers any workers in these categories who are not selected by the listed employers for monthly employment. The criteria of such allocation shall primarily be the amount of shipping business transacted in the Port by individual employers during the previous three years.

(ii) LIST 'B' : The dock supervisors, dock receipt clerks, rigger foremen and General Purpose Mazdoors who are in the general pool and who are known as general pool

workers. They shall be permitted in this list after scrutiny of age, medical fitness and verification of character and antecedents.

17. Classification of workers in lists.—(1) The Board shall arrange for the classification of workers by categories in the lists.

(2) General Pool workers and monthly workers listed under the Scheme shall be classified into :

(i) Supervisor.

(ii) Receipt clerk

(iii) Rigger Foreman

(iv) General Purpose Mazdoor.

18. Temporary Transfer of workers from List 'A' to List List 'B' except these Supervisors and Receipt Clerks who are not listed under General Pool.—The Supervisor and Receipt clerk shall ordinarily be attached to a Listed employer in the monthly register namely List 'A'. In the event of services of supervisor or Receipt Clerk being terminated due to total closure of stevedoring business of the employer or for any other compelling reasons found valid by the Chairman, he may be retained temporarily in the General Pool, namely List 'B' till such time he is re-allocated to any other employer.

19. Fixation of number of workers on the list.—(1) The Board shall after due and proper investigation and in consultation with the Admn. Body determine before the commencement of listing in any category the number of workers required in the category.

(2) The numbers thus determined shall be subject to approval by the Central Government before the commencement of listing.

(3) (a) The Board shall subject to the approval of the Central Government periodically determine the number of workers required in each category and arrange to adjust the workers lists accordingly.

(b) The Administrative Body shall in accordance with the decision of the Board arrange to list or de-list the workers with the least possible delay.

(c) The procedure for de-listing shall be separately laid down by the Board.

20. Listing of existing and new workers.—(1) Before a worker is listed in any of the above categories, the Board shall make a thorough investigation viz., scrutiny of age, medical fitness and verification of character and antecedents with a view to arriving at an estimate of the number of workers in that category that are likely to be available out of all the workers in that category who may be working in the docks.

(2) The mere fact that a worker has been working before in the Port shall not automatically entitle him to listing.

(3) Listing, subject to clause 17, shall then be done as follows :—

(a) List 'A' :

(1) The names of all supervisors and receipt clerks who were on the monthly employment of stevedores employers on 11-4-1984 shall be entered directly in list 'A' emloyer-wise and category-wise provided they are otherwise eligible on grounds of age, medical fitness and verification of character and antecedents. They shall continue to be in the monthly list of employers concerned.

(b) List 'B' :

Any worker who was already registered under the Pool run by the Madras Stevedores' Association on 11-4-1984 shall subject to being found suitable for listing after scrutiny of age, medical fitness and verification of character and antecedents, be deemed to have been listed under this Scheme. Those who are not found suitable for listing under the above conditions shall be kept out of the purview of the Scheme.

(b) The qualification for new listing shall be such age as may be prescribed by the Board having regard to local conditions but not exceeding 40 years, physical fitness, capacity and experience. Indian Nationals only shall be eligible for listing.

Provided that in the case of Ex-Service personnel and those belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes the age limit may be relaxed upto 45 years by the Dock Labour Board.

(c) Listing of workers in any new category shall be done from among workers who have been or were working in the Port on any such date as the Board may prescribe in this behalf and selection for listing shall be made as far as possible on the basis of seniority as determined by the length of service rendered by a worker in that category and notified by the Board. In case where the said seniority list is not available, selection shall be made on such other basis as the Board may determine provided that the worker is medically fit and is not more than 58 years of age.

(4) The following principles shall apply in respect of listing of categories which may after the date of enforcement of the Scheme be included in Schedule I :

(a) Before a worker is listed in any of the Categories, the Board shall under Clause 19 make a thorough investigation with a view to arriving at an estimate of the number of workers in that category that are likely to be required out of all the bonafide workers in that category who may then be working in the Port.

(b) There shall be a provisional listing based on the anticipated requirement and the mere fact that a worker has been working before in the Port shall not automatically entitle him for listing.

(c) After the provisional listing has been completed, the booking in relation shall start without allowing, at that stage, any financial benefits other than wages which accrue to listed General Pool workers under the Scheme.

(d) A reassessment of the requirement shall be made after six months in the light of the actual employment obtained by workers provisionally listed and the provisional listing shall then be adjusted accordingly. The payment of attendance allowance under clause 33 only shall commence from that time.

(e) The working under these conditions shall be examined after a year of the introduction of the rotational booking with a view to fixing the number of days for which the guaranteed minimum wages under Clause 32 should be paid. From then onwards the workers will be entitled to all the benefits under the Scheme.

(f) The minimum number of days in a month for which wages are guaranteed under clause 32 to categories of workers previously registered shall not automatically be clarimed by workers of the categories to be listed after the date of enforcement of the Scheme. Such minimum number of days may vary from categorry to category as determined under item (a) above.

(g) The wages of the workers in categories which may be listed after the date of enforcement of the Scheme, shall be such as may be fixed by the Board from time to time.

(5) The Board may from time to time permit the listing of workers temporarily for such periods and on such terms and conditions of service as the Board may specify :

Provided that the workers listed temporarily shall be entitled to attendance allowance under clause 32 and shall have the same obligations as Dock General Pool workers in the Pool.

(6) Any fresh recruitment, whether on a temporary or permanent basis, in the category in which dock General Pool workers have already been listed under the Scheme shall be done from amongst workers listed with the local Employment Exchange. If however, the requirement exceeds the number of suitable men available on the register of the Employment Exchange on the day of the requisition, direct recruitment, after absorbing suitable men from the Employment Exchange register, may be made.

(7) New workers listed under item (c) of sub-clause (3) will be on probation for a period of six months before being placed on a permanent basis on the list.

(8) Notwithstanding any other provisions of the Scheme, where the Board is of opinion that a General Pool worker has secured his listing by furnishing false information in his application or by withholding any information required therein, or where it appears that a worker has been listed improperly or incorrectly, the Board-in-meeting may direct the removal of his name from the lists :

Provided that before giving any such direction, the Board shall give him an opportunity of showing cause as to why the proposed direction should not be issued.

21. Age of Retirement : The age of retirement of all listed workers under the Scheme shall be 58 years.

22. Employment, Promotion and Transfer of Workers : (1) A vacancy, other than a casual vacancy, in any category of workers in a pool shall ordinarily be filled by promotion of a worker from the next lower category.

(2) A vacancy other than a casual vacancy in any category of monthly workers may be filled only by promotion from lower categories of monthly workers of the same employer or group of employers or, if no person is suitable for promotion from lower categories of monthly workers of the same employer or group of employers, by transfer of a worker in the same or a superior category from the pool who may be selected by a listed employer or a group of employers.

Explanation—The criteria for promotion shall ordinarily be :—

(a) seniority,

(b) merit and fitness for work in the category to which promotion is to be made, and

(c) record of past service.

NOTE : A transfer from list 'A' to List 'B' in the same category or vice-versa shall not be deemed a promotion.

(3) The Chairman or the Deputy Chairman may for sufficient and valid reasons allow the transfer of monthly worker to the general pool on a request in writing of the employer or the worker explaining fully the reasons for the transfer, provided that such transfer shall be subject to the fulfilment of any employer regarding termination of employment. No transfer shall take place without the prior approval of the Chairman or the Deputy Chairman.

(4) If the services of a monthly worker are terminated by an employer for an act of indiscipline or misconduct he may apply to the Board for employment in the general pool. The Deputy Chairman on behalf of the Board shall then decide on the merits of the case whether or not the worker should be employed and if so whether in the same or a lower category.

(5) If a monthly worker is transferred to or employed in the general pool under sub-clause (3) or sub-clause (4), as the case may be, his previous service shall be reckoned for all benefits in the general pool and the employer shall transfer to the Board all benefits that have accrued to the worker in respect of his previous service as if such service had not been transferred. The employer shall in particular contribute to the Board such amount as may be appropriate towards the worker's leave, Provident Fund or gratuity that may be due to him on the date of such transfer.

23. Medical Examination :

(1) (a) All workers before listing shall undergo free of charge, a medical examination for physical fitness by a medical Officer nominated by the Chairman for this purpose.

(b) A worker found medically unfit by a Medical Officer may apply in writing to the Chairman for examination by a Medical Board. On receipt of such a request, the Chairman shall set up a Medical Board.

(c) The employer deems it necessary, a worker shall undergo, free of charge, a medical examination by a Madical Board to be constituted by the Chairman. The employer with the approval of the Chairman shall have authority to terminate the services of the worker found unfit by the Medical Board. The decision of the Medical Board shall be final.

24. Facilities for Training :

The Board shall make provision for training of suitable listed General Pool Workers in such duties as it may deem necessary.

25. Listing Fee :

(a) A listing fee of rupees ten shall be payable to the Board by each worker at the time of listing under the Scheme.

(b) Each employer sholl poy a listing fee of rupees five hundred at the time of listing under the Scheme.

26. Supply of Cards :

Every General Pool worker when listed shall be supplied, free of cost, with the following cards in the forms prescribed by the Board, namely :—

(i) Identity Card, and

(ii) Wage Card.

In case of less of a card, a fresh card will be issued, and the cost thereof, which will be fixed by the Board, shall be payable by the worker concerned. In all such cases of loss, the worker must report the loss immediately to the Police and the Administrative Body.

27. 'Service Record' for General Pool Workers :

A 'SERVICE RECORD' for every monthly worker shall be maintained by all listed employers in a form prescribed by the Board, which shall contain, among other this, a complete record of promotion, recommendations for good work, disciplinary action taken against the worker, etc. Similar records in respect of General pool workers shall be maintained by Administrative Body.

28. 'Record Sheets' for Listed Dock Employers.

The Administrative Body shall maintain records in respect of each Listed Dock Employer in a form to be prescribed by the Board, which shall contain, among other things, a complete record of disciplinary action taken against the listed Dock Employers.

29. Surrender of Card :

The General pool worker's Card shall be surrendered to the Administrative Body in the following circumstances, namely :—

(a) When proceeding on leave for 3 days or more ;

(b) When retiring from service;

(c) When dismissed or discharged from service;

(d) when temporarily suspended; or

(e) on death.

Provided that in any of the above mentioned circumstances the listed dock employer of monthly worker will also surrender the Card and Service records of the monthly workers to the Administrative Body.

30. Entries in Wage Card

A General pool worker shall hand over his wage Card to the Administrative Body at the time he is allocated for work to a listed employer, unless any of the cards has already been deposited with the Administrative Body previously and has not been returned to the General Pool worker.

The Administrative Body shall arrange to make necessary entries in the Wage Card in respect of the period of work done by the worker and return it to him as soon as the entries have been made.

(2) A monthly worker shall hand over his wage card to his employer at the time when he is allotted work on a ship, unless any of the cards has already been deposited with the employer previously and has not been returned to the worker.

The said employer shall make necessary entries in the card in respect of the period of work done by the worker and return them to him as soon as the entries have been made.

31. Employment in Shifts :

(1) Workers shall be employed in shifts.

(2) (a) A worker shall not ordinarily be employed in two consecutive shifts nor shall a worker be employed in two consecutive shifts on each of two successive days. In no case, shall a worker be employed in three consecutive shifts.

(b) A general poor worker in (List 'B') shall not be employed for more than 9 shifts in a week or 33 shifts in a month.

(c) Normally a monthly worker shall not be employed for more than 6 shifts in a week or 27 shifts in a month, but when a worker in List 'B' who has not reached the maximum limit of employment defined in item (b) above is not available a monthly worker may be employed upto 9 shifts in a week or 33 shifts in a month.

(d) In special circumstances, the Chairman may relax temporarily the restrictions under items (b) and (c) to the extent necessary.

(e) Workers working more than one shift in a day will be entitled to the normal rate of wages for work in each shifts.

(3) Workers of each category on the General pool : shall normally be allotted work strictly by rotation. The Board-in-meeting may, however lay down such other method of booking as may be necessary for the efficient performance of work.

32. Guaranteed Minimum Wages in a Month :

(1) A General Pool worker in List 'B' shall be paid wages for at least 12 days in a month at the commencement of the Scheme at the wage rate inclusive of dearness allowance as prescribed by the Board appropriate to the category to which he permanently belongs.

(2) Subject to the provisions of sub-clause (1) the minimum number of days for which wages are guaranteed to any General pool worker may be fixed by the Board for each year on the basis of the monthly average employment obtained by the lowest category of workers in the General pool during the proceeding year until the minimum number of days reaches 21.

NOTE : An illustration of the method of assessing average employment is detailed in Schedule III.

(3) The days on which work is allotted to the worker shall be counted towards the guaranteed minimum number of days for which wages shall be paid. The guaranteed minimum wages in a month shall be—

(a) for the number of days for which wages are guaranteed in a month, subject to the condition that the worker attended for work on all days in the month as directed by the Administrative Body and also carried out work in an additional shift in a day when called upon to do so by the Administrative Body, or

(b) proportionate to the number of days on which the worker attended for work, provided he was excused from attendance on all the remaining days of the month.

(4) For the purpose of this clause—

(a) the wage rate payable shall be inclusive of dearness and other allowances, as prescribed by the Board appropriate to the category to which the worker belongs either substantively on temporarily for a period of a month or more.

(b) any additional shift or shifts worked in a day shall not be separately counted as a day.

(c) a worker on his weekly off day will be deemed to have been on attendance unless he was specifically booked for work on such a day by the Administrative Body and had failed to attend.

(5) All workers whose names are entered in List 'B' initially when this Scheme comes into force shall continue to be eligible for the same minimum guaranteed wages which they were getting prior to their listing. All workers whose names are entered in this list subsequently shall be governed by the provision of sub-clause (2).

NOTE : For the purpose of this clause the word 'Category' wherever it appears shall be deemed to include all classification of sub-categories as may be made by the Board from time to time under clause 17.

33. Attendance Allowance : Subject to the other provisions of the Scheme, a worker on the General pool Register, who is available for work, but for whom no work is found, shall be paid Attendance allowance, exclusive of dearness and other allowances, at the rate of rupee one per day for the days on which during a wage period (month) he attended for work as directed by the Administrative Body and no work was found for him :

Provided that the Board may, from time to time, allow payment of attendance allowance exclusive of dearness and other allowances at a higher rate not exceeding rupees two per day, as it may deem necessary :

Provided further that no attendance allowance shall be payable for any day for which wages, inclusive of allowances, have been paid under clause 32 and 35.

34. Employment for a Shift : No worker in the General pool shall be employed for a period of less than a shift and where the work for which a worker has been engaged is completed during the working period of the shift, he shall undertake such other work in or at the same or another vessel or berth as may be required by the same employer for the remainder of the period.

35.Payment of wages when work is not available after engagement : When a worker in the General pool presents himself for work and for any reason the work for which he has attended cannot commence or proceed and no alternative work can be found for him by the employer, he may be returned by the said employer and sent back to any place in the port as directed by the Administrative Body within 2 hours of his attending for work. The worker so returned shall wait at the stipulated place as directed by the Administrative Body throughout the shift and accept any other employment in the same shift that may be offered by the Administrative Body. If no work is offered he shall be entitled to the disappointment money on the basis of one full time-rate wage including dearness allowance and other allowances. Where work is offered he shall be entitled to piece-rate wages for work done and for the rest of the period of the shift proportionate basic wage plus allowances.

36. Holidays : Each General Pool worker shall be entitled to 8 paid holidays in a year including all days (which shall not exceed 6 in a year) that the declared as closed holidays by the Board. The payment for such holidays shall be such as may be prescribed by the Board under clause 42 and shall be exclusive of the payments calculated under clause 32.

37. Committees : (1) The Board may appoint one or more Committee to whom it may entrust such of its functions as it may deem necessary to facilitate compliance with the provisions of the scheme and may abolish or reconstitute them as it may deem necessary.

(2) Persons who are not members of the Board may, if necessary be nominated as co-opted members of a Committee; such co-opted members, however, shall not have any right to vote.

38. Obligations of Central Pool Workers.—(1) Every worker shall be deemed to have accepted the obligations of the Scheme.

(2) A listed General pool worker in the General pool who is available for work, shall be deemed to be in the employment of the Board.

(3) A listed General pool worker in the General pool who is available for work, shall not engage himself for employment under a listed employer, unless he is allocated to that employer by the Administrative Body.

(4) A Listed General pool worker in the General pool, who is available for work, shall carry out the directions of the Administrative Body and shall—

(a) report at such call points and at such times as may be specified by the Administrative Body and shall remain at such call points;

(i) throughout the period of the shift, if instructed by the Administrative Body to that effect, on payment of such retention allowance as may be prescribed by the Board; or

(ii) for such period not exceeding one hour as may be specified;

(b) accept and agree to a transfer to the Monthly list of any listed employer to whom he might be allocated by the Chairman; and

(c) accept any employment in connection with dock work, whether in the category in which he has been listed or in any other category for which he is considered suitable by the Administrative Body.

(5) A listed General pool worker, who is available for work, when allocated by the Administrative Body for employment under a listed employer, shall carry out his duties, in accordance with the directions of such listed employer or his authorised representative and the rules of the port or place where he is working.

(6) The listed general pool worker shall not raise any demands having additional financial implications for a period of 5 years from the date of commencement of the Scheme. He shall also abide by the flexibility in manning scales and deployment of gangs which were prevalent before the commencement of the Scheme.

39. Obligations of Listed Employers.—(1) Every listed employer shall accept the obligations of the Scheme.

(2) Subject to the provisions of clause 40(1) and the relaxation given in clause 40(2) a listed employer shall not employ a worker other than a general pool worker, who has been allocated to him by the Administrative Boly, in accordance with the provisions of clause 12(d).

(3) A listed employer shall in accordance with arrangements made by the Administrative Body submit all available information of his current and future worker requirements.

(4) A listed employer shall supply to the Administrative Body such data and information in respect of listed General Pool workers engaged by him, as the Administrative Body may require from time to time.

(5) (i) A listed employer shall pay to the Administrative Body in such manner and as such times as the Board may direct the levy payable and such other administrative charges under clause 54 (1) and the gross wages due to daily workers.

(ii) (a) A listed employer shall pay to the Board the monthly Provident Fund subscriptions recovered from the wages of the monthly workers and the contribution by the listed employers, thereon, repayment of Provident Fund loan and interest on Provident Fund loan within 15 days from the date of each recovery.

(b) The cost of maintaining the Provident Fund amounts of the monthly workers shall be defrayed by payments to the Board made by the Listed Employers in the manner and on the basis as might be fixed by the Board from time to time.

(6) A listed employer shall keep such records as the Board may require and shall produce to the Board or to such persons as may be designated by the Board upon reasonable notice all such records and any other documents of any kind relating to listed General Pool Workers and to the work upon which they have been employed and furnish such information relating thereto as may be set out in any notice or directions issued by or on behalf of the Board.

(7)(i) A listed employer, that is to say stevedore employer or contractor or a group of such employers, is permitted to use listed General Pool Workers only under a direct stevedoring agreement with the shipowners, shipping agents or shipping companies.

(ii) The Board may at any time demand production of such agreement or documents pertaining to work on any ship, from any such employer for the purpose of verification.

(iii) A listed employer shall not pay a listed General Pool worker anything in cash or otherwise in excess of the wages normally and actually due to the worker.

40. Restriction on Employment.—(1)(a) No person other than a listed employer shall employ any worker on dock work.

(b) Subject to the relaxation given in sub-clause (2) a listed employer shall only employ a listed General Pool Worker on dock work.

(2) Notwithstanding the foregoing provisions of this clause—

(a) Where the Administrative Body is satisfied that—

(i) dock work is emergently required to be done; and

(ii) it is not reasonably practicable to obtain a listed General Pool Worker for that work, the Administrative Body may, subject to any limitations imposed by the Board, allocate to a listed employer a person, who is not a listed General Poor Worker.

Provided further that, whenever unlisted workers have to be employed, the Administrative Body shall obtain, if possible, the prior approval of the Chairman to the employment of such work and where this is not possible, shall report to the Chairman within 24 hours the circumstances under which such workers were employed, and the Chairman shall duly inform the Board of such employment at its next meeting;

(b) in the case referred to in item (a), the person so employed by listed employer shall, for the purposes of sub-clauses (4), (5) and (6) of clause 37 and clause 42 be treated in respect of that dock work as if he were a pool worker.

(3) A listed worker in the General Pool may, provide he fulfils fully his obligations under clause 38 take on occasional employment under Employers other than those listed under the Scheme on these days on which he is not allocated for work by the Administrative Body.

41. Circumstances in which the Scheme ceases to apply.—(1) The Scheme shall cease to apply to a listed General Pool Worker when his name has been removed from the lists or records in accordance with the provisions of the Scheme.

(2) The Scheme shall cease to apply to a listed employer, when his name has been removed from the employers' list in accordance with the provisions of the Scheme.

(3) Nothing in the clause shall affect any obligations incurred or right accrued during any time when the person was a listed General Pool Worker or a listed employer.

42. Wage, Allowance and other conditions of service of workers in categories in Schedule I—(1) Unless otherwise specifically provided for in the Scheme, it shall be an implied condition of the contract between a listed General Pool worker in the categories in Schedule I (whether in the General Pool or in the Monthly List) and a listed employer that the rates of wages, allowances and overtime, hours of work, rest intervals, holidays and pay in respect thereof and other conditions of service shall be such as may be prescribed by the Board for each category of workers from time to time subject to the provisions of sub-clauses (2), (3) and (4).

(2) Subject to the conditions of service as in sub-clause (1) above, the monthly worker (List 'A') shall be entitled to the full monthly wages and allowances of the category to which he belongs, whether he is allotted work on all days or not.

A monthly worker shall not be entitled to any benefit involving additional financial implications for a period of 5 years from the date of commencement of the Scheme.

(3) A listed General pool worker shall not be entitled to any benefit involving additional financial implications for a period of 5 years from the date of commencement of the Scheme.

(4) The fixation of wage period, time for payment of wages and deductions from wages shall be in accordance with the provisions of the Payment of Wages Act, 1936.

43. Pay in respect of unemployment or under employment.—(1) Subject to the other provisions of the Scheme and to the conditions set out in this and the next following clause, when the Listed General Pool Worker in the General Pool is available for work but is not given employment or full employment, he shall be entitled to receive from the Board such amounts as may be admissible to him under clauses 32, 33 and 34.

(2) The conditions subject to which a listed general Pool Worker is entitled to the said payment (if any) from the Board are that—

(a) he attended as directed at the call points; and

(b) his attendance was recorded.

44. Disentitlement to payment.—(1) A Listed General Pool worker who while in the General Pool, fails without adequate cause to comply with the provisions of items (a), (b) and (c) of sub-clause (4) of clause 38 or fails to comply with any lawful orders given to him by or on behalf of the Board, may be proceeded with in accordance with sub-clause (3).

(2) A Listed General Pool worker in the General Pool who, while in employment to which he has been allocated by the Administrative Body, fails without any adequate cause to comply with the provisions of sub-clause (5) of clause 38 or fails to comply with any lawful orders given to him by his employer, may have this engagement terminated and may be returned to the General Pool and, whether or not he is so returned may be reported in writing to the Labour Officer. When a Listed General Pool Worker is so returned to the General Pool, the Administrative Body shall endorse his Wage Card Accordingly.

(3) The Labour Officer shall consider any matter arising under sub-clause (1) or sub-clause (2) and if, after investigating the matter, he notifies the Listed General Pool worker that he is satisfied that the Listed General Pool worker has failed to comply with the lawful order as aforesaid, the Listed General Pool worker shall not be entitled to any payment or

to such part of any payment under Clause 43 as the Labour Officer thinks fit in respect of the wage period in which the failure occurred or continues :

Provided that the Listed General Pool worker will be given an opportunity of showing cause before the Labour Officer takes any decision under this sub-clause.

45. Disciplinary procedure.—(1) The Personnel Officer on receipt of information, whether on a complaint or otherwise that a listed employer has failed to carry out the provisions of the Scheme may after investigating the matter—

(i) give him a warning in writing; or

(ii) if in his opinion, a higher penalty is merited, report the case to the Deputy Chairman.

(2) The Deputy Chairman shall then cause such further investigation to be made as he may deem fit and take any of the following steps as regards that employer, that is to say, he may—

(a) censure the employer and record the censure in his record sheet; or

(b) subject to the approval of the Board and after one month's notice in writing to the employer, direct that the name of the employer shall be removed from the register of employers for such period as may be determined by the Board or permanently, if the Board so determines.

(3) (i) A general pool worker in the pool, who fails to comply with any of the provisions of the Scheme, or commits any act of indiscipline or misconduct, may be reported against in writing to the Labour Officer.

(ii) The Labour Officer after investigating the matter may take any of the following steps as regards that worker that is to say, he may—

(a) determine that, for such period as he thinks proper, that worker shall not be entitled to any payment or part payment under clause 43 ;

(b) give him a warning in writing; or

(c) suspend him without pay for a period not exceeding 10 days.

(iii) Where in a case reported to the Labour Officer under sub-clause (i) he is of opinion that the act of indiscipline or misconduct is so serious that the worker should not be allowed to work any longer, the Labour Officer may, pending investigation of the matter, suspend the worker and report immediately to the Deputy Chairman, who after preliminary investigation of the matter shall pass orders thereon whether the worker, pending final orders, should remain suspended or not.

(iv) Where a worker has been suspended by an order under item (iii), he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance of one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with Wages, and thereafter the Chairman may in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances :

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.

(v) The subsistence allowance so paid shall not be recoverable or liable to forfeiture in any case whatsoever.

(vi) Where the Deputy Chairman comes to the decisions that the order of suspension of the worker pending investigation into charge of indiscipline of misconduct, as the case may be, ought not to have been made, or where a worker is found not guilty of the charges framed against him after a throrough enquiry, the worker shall be entitled to such payments from the Administrative Body as may be decided by the Deputy Chairman :

Provided that the amounts so payable shall be reduced by the amount of subsistence allowance payable or already paid during a particular period.

(4) Where, in the opinion of the Labour Officer, a higher punishment than that provided in items (ii) and (iii) of sub-clause 3 is merited, he shall report the same to the Deputy Chairman.

(5) On receipt of the report from the Labour Officer under sub-clause (4) or from the employers or any other person that a General Pool worker in the pool has failed to comply with any of the provisions of the Scheme, or has consistently failed to produce the standard output or has violated the provisions of the Scheme more than once or has been inefficient in any other manner, the Deputy Chairman may make or cause to be made such further investigation as he may deem fit, and thereafter take any of the following steps, as regards the worker concerned, that is to say, he may impose any of the following penalties—

(a) determine that, for such period as he thinks proper, the worker shall not be entitled to any payment or part payment under clause 43;

(b) give him a warning in writing;

(c) suspend him without pay for a period no exceeding three months;

(d) terminate his services after giving 14 days notice or 14 days' wages inclusive of dearness allowance in lieu thereof; or

(e) dismiss him.

(6) Before any action is taken under this claus the person concerned shall be given an opportuni to show cause why the proposed action should n be taken against him and such person may, if he

desires, adduce evidence in respect of such action. A copy of the final order shall also be communicated to the person concerned.

(7) The Administrative Body shall be informed simultaneously about the action taken under this clause.

(8) Notwithstanding anything contained in clauses 44 and 45, the powers vested in the authority, specified in column (1) of the Table below, under the provisions specified in column (2) of the said Table shall also be exercisable by the authority specified in the corresponding entry in column (3) of that Table.

TABLE

Authority empowered to take action	Provisions under which power vested	Authority empowered to take action in specified cases
1	2	3
1. Labour Officer	Clauses 44 and 45	Administrative Body
2. Personnel Officer	Clause 45	Deputy Chairman or Chairman
3. Deputy Chairman	Clause 45	Chairman

(9) Without prejudice to the powers of the Chairman under clause 46 a listed employer shall have full powers to take disciplinary action against monthly workers employed under him.

46. Special disciplinary powers of the Chairman : (1) Notwithstanding anything contained in the Scheme, if the Chairman is satisfied that a 'go-slow' has been resorted to by any gang of General Pool Workers or by any such individual worker and is being continued or repeated by the same gang or worker or different gangs of workers, he may make a declaration in writing to that effect.

(2) When a declaration under sub-clause (1) has been made, it shall be lawful for the Chairman :—

(i) in the case of monthly workers, to take without prejudice to the rights of the listed employers, such disciplinary action, including dismissal, against such workers as he may consider appropriate ; and

(ii) in the case of General pool workers in the pool, to take such disciplinary action, including dismissal, against such workers as he may consider appropriate and also to order forfeiture of their guaranteed minimum wages and attendance allowance for the wage period or periods in which the 'go-slow' has been resorted to.

(3) The Chairman may take disciplinary action—

(i) where the go-slow is resorted to by a gang, against all the members of the gang ; and

(ii) where the 'go-slow' is resorted to by a worker, against the worker concerned.

(4) Before any disciplinary action is taken under this clause against any worker or any gang of workers, such worker or gang shall be given an opportunity to show cause as to why the proposed action should not be taken against him or it ;

Provided that the Chairman, may, before giving an opportunity to show cause under this sub-clause, suspend from work any worker or gang of workers immediately after a declaration has been made under sub-clause (1).

(5) (a) Where a worker has been suspended pending enquiry, he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance of one-half of the basic wages, dearness and other allowance to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances :

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the workers, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances ;

(b) the subsistence allowance so paid shall not be recoverable or liable to forfeiture in any case whatsoever ;

(c) where a worker is found not guilty, he shall be entitled to such payments in respect of the period of his suspension as the Administrative Body may certify that the worker would have received on the time rate basis or under clause 33 had he not been suspended : *provided that the amounts so payable shall be reduced* by the amount of subsistence allowance paid during that period.

(6) Any General Pool worker who is aggrieved by an order of the Chairman under sub-clause (2) may, within 30 days of the date of receipt of the order, prefer an appeal to the Central Government.

47. Termination of Employment.—(1) The employment of a General pool worker in the pool shall not be terminated except in accordance with the provisions of the Scheme.

(2) A General pool worker in the pool shall not leave his employment with the Board except by giving fourteen days' notice in writing to the Board or forfeiting fourteen days' wages inclusive of dearness allowance in lieu thereof.

(3) When the employment of a General pool worker with the Board, has been terminated under sub-clause (1) or sub-clause (2) above, his name shall forthwith be removed from the list or record by the Administrative Body.

48. Appeals by workers.—(1) Save as otherwise provided in this clause, a worker in the pool who is aggrieved by an order passed by an authority specified in column (1) of the table below, under the provision specified in column (2) of the said Table may prefer an appeal against such order to the authority

specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Authority Passing order	Provisions under which order made	Appellate authority
1	2	3
Labour Officer	Clause 44 or 45	Deputy Chairman
Administrative Body	Clause 44 or 45	Deputy Chairman
Deputy Chairman	Clause 45	Chairman
Chairman	Clause 45	Central Government

Provided that where the Deputy Chairman passes an order while acting as the Administrative Body, appeal against such order shall lie to the Chairman.

(2) A worker who is aggrieved by an order :—

(i) placing him in a particular group in the list or record ; or

(ii) refusing listing under clause 20; or

(iii) requiring him under item (c) of sub clause (4) of Clause 38 to undertake any work which is not of the same category to which he belongs; may prefer an appeal to the Chairman. No appeal shall lie where due notice has been given of the removal of the name of a General Pool worker from the list or record in accordance with the instructions of the Board, if the ground of removal is that the General Pool worker falls within a class or description of workers whose names are to be removed from the list or record in order to reduce the size thereof :

Provided that an appeal shall lie to the Chairman where the General Pool worker alleges that he does not belong to the class or description of workers referred to in the instructions of the Board.

(3) Every appeal referred to in sub-clause (1) or sub clause (2) shall be in writing and preferred within 14 days of the date of receipt of the order appealed against :

Provided that the appellate authority may, for reasons to be recorded, admit an appeal preferred after the expiry of 14 days.

(4) The appellate authority may, after giving an opportunity to the appellant to be heard, if he so desires, and for reasons to be recorded in writing, pass such order as it thinks fit.

(5) Every order passed under sub-clause (4) shall be communicated to the appellant.

(6) An appellant shall not be entitled to be represented by a legal practitioner before the appellate authority but he shall be entitled to be represented by a representative of the registered trade union of which he is a member or by a General Pool Worker.

49. Appeals by employers.—(1) (a) A listed employer who is aggrieved by an order of the Personnel Officer under item (i) of sub-clause (1) of clause 45 may appeal to the Deputy Chairman.

(b) A listed employer who is aggrieved by an order of the Deputy Chairman under sub clause (2) of clause 45 may appeal to the Chairman. An appeal against an order under sub-clause (1) or sub-clause (2) of clause 45 may be preferred to the Chairman for his decision. In the case of an appeal against an order under sub-clause (2) or sub-clause (6) of clause 45, the Chairman shall forthwith refer the matter to the Central Government. The Central Government shall make such order on the appeal as it thinks fit.

(2) A listed employer who has been refused listing under item (c) of sub-clause (1) of clause 16 may appeal to the Central Government through the Chairman. The Central Government shall make such order on the appeal as it thinks fit.

(3) If a listed employer is aggrieved by an original order of the Chairman against him under Clause 45, he may prefer an appeal to the Central Government. The Central Government shall make such order on the appeal as it thinks fit.

(4) Every appeal referred to in sub-clauses (1), (2) and (3) shall be in writing and preferred within 14 days of the receipt of the order appealed against :

Provided that the appellate authority may for reasons to be recorded, admit an appeal preferred after the expiry of 14 days.

(5) An appellant shall not be entitled to be represented by a legal practitioner before the appellate authority but he shall be entitled to be represented by a representative of the Associaion of listed employers of which he is a member of by a listed employer.

50. Power of revision of the Chairman and Deputy Chairman.—Notwithstanding anything contained in this Scheme, the Chairman, in the case of an order passed by the Deputy Chairman under clause 45, or the Deputy Chairman, in the case of an order passed by the Personnel Officer or the Labour Officer, as the case may be, under the said clause, may, at any time, call for the record of any proceeding in which the Deputy Chairman or the Personnel Officer or the Labour Officer, as the case may be, had passed the order, for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety thereof and may pass such order in relation thereto as he may think fit :

Provided that the Chairman or the Deputy Chairman shall not pass any order under this clause which may prejudicially affect the interest of any person without giving such person a reasonable opportunity of being heard.

51. Stay of order in case of certain appeals.—Where an appeal is lodged by a worker in accordance with the provisions of clause 48 against an order of termination of service on 14 days' notice or where an appeal is lodged by an employer in accordance with the provisions of clause 49 against an order removing his name from the employers' list under item (b) of sub-clause (2) of clause 45, the appellate authority may suspend the operation of the order appealed from pending the hearing and disposal of the appeal.

52. Special provisions for action in an emergency—(1) If at any time the Chairman is satisfied that an emergency has arisen which will seriously affect the working of the port, he hay, by order in writing and for such period as he may from time to time specify therein, make declaration to that effect :

Provided that no such declaration shall be made except with the previous approval of the Central Government.

(2) So long as an order under sub-clause (1) is in force, the following provisions shall apply, namely:—

(i) If any allegation is made that a listed employer has failed to carry out the provisions of the Scheme, the Chairman may, after holding a summary inquiry into the allegation take any of the following steps as regards that employer, that is to say, he may—

(a) give the listed employer a wraning in writing, or

(b) direct that the name of the listed employer shall be removed forthwith from the employers' list either permanently or for such period as he may determine :

Provided that no such removal under sub-item (b) shall be made except after giving the employer a reasonable opportunity of being heard.

(ii) If any allegation of indiscipline, 'go-slow' or misconduct is made against a General Pool worker, the Chairman may suspend him forthwith pending inquiry, hold a summary inquiry into the allegation and take any one or more of the following steps against that worker that is to say, he may :—

(a) determine that for such period as he thinks proper that worker shall not be entitled to any payment under clause 43 ;

(b) give him a warning in writing ;

(c) suspend him without pay for a period not exceeding three months ;

(d) terminate his services after giving 14 days' notice or 14 days' wages inclusive of dearness allowance in lieu thereof, or

(e) dismiss him ;

Provided that no such termination under sub-item (d) or dismissal under sub-item (e) shall be made except after giving the worker a reasonable opportunity of being heard.

(3) The provisions of the Scheme relating to disciplinary action against listed employers and General Pool workers shall not apply to any order passed by the Chairman under sub-clause (2).

(4) Where a General Pool worker has been suspended pending enquiry, he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance of one-half of basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances :

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.

(5) The subsistence allowance so paid shall not be recoverable or liable to forfeiture in any case whatsoever.

(6) Where a worker is found not guilty, he shall be entitled to such payments in respect of the period of his suspension as the Administrative Body may certify that the worker would have received on the time rate basis or under clause 33 had he not been suspended, provided that the amount so payable shall be reduced by the amount of subsistence allowance already paid during that period.

(7) Any General Pool worker or listed employer who is aggrieved by an order passed by the Chairman under sub-clause (2) may, within 30 days of the date of receipt of the order, prefer an appeal to the Central Government.

(8) Notwithstanding anything contained in the Scheme, so long as an order under sub-clause (1) is in force the Chairman may authorise the employment of unlisted workers directly by Listed employers and payment to such unlisted workers directly.

53. Interchangeability and Deployability.—A listed General pool worker and the listed monthly worker shall agree to maintain the flexibility in manning scales and deployability in employment as was prevalent before the listing under the Scheme. They shall also be interchangeable with various other categories under the Scheme as required by the exigencies of work.

54. Cost of operating the scheme.—(1) The cost of operating the scheme shall be defrayed by payments made be Listed employers to the Board. Every Listed employer shall pay to the Board such amount by way of levy in respect of General Pool workers together with and at the same time as the payment of gross wages due from him under item (1) of sub-clause (5) of Clause 39 as the Board may, from time to time prescribe by a written notice to Listed employers :

Provided that in respect of the Receipt Clerk and Supervisor who are in the monthly list, a suitable levy shall also be collected from the Listed employers for meeting the commitment of operating the Scheme in respect of such categories.

(2) In determining what payments are to be made by Listed employers under sub-clause (1), the Board may fix different rates of levy for different categories of work or workers, provided that the levy shall be so fixed that the same rate of levy will apply to all Listed employers who are in like circumstances.

(3) The Board shall not sanction any levy exceeding hundred percent of the estimated total wage bill calculated on the basis of the daily wage rate without the prior approval of the Central Government.

(4) A Listed employer shall on demand make a payment to the Board by way of deposit, or provide such other security for the due payment of the amount referred to in sub-clause (1), as the Board may consider necessary.

(5) The Administrative Body shall furnish from time to time to the Board such statistics and other information as may reasonably be required in connection with the operation and financing of the scheme.

(6) If a listed employer fails to make the payment due from him under sub-clause (1) or any other amount due and payable to the Board in any other capacity or account within the time prescribed by the Administrative Body, the Administrative Body shall serve a notice on the employee to the effect that, unless he pays his dues within three days from the date of receipt of the notice, the supply of General Pool Workers to him shall be suspended. On the expiry of the notice period, the Administrative Body shall suspend the supply of General Pool workers to a defaulting employer until he pays his dues.

55. Provident Fund and Gratuity.—(1) Without prejudice to the provisions of any agreement entered into between listed employers and General Pool workers the Board in respect of the workers, in the Pool, and the listed employers, in respect of their monthly workers, shall frame and operate rules providing for contributory provident fund. The rules shall provide for the rate of contribution from the workers and the employers, the manner and method of payment and such other matters as may be considered necessary ;

Provided that the rules applicable to monthly workers shall not be less favourable than those relating to workers in the Pool.

(2) Without prejudice to the provisions of any agreement entered into between the Listed employers and General Pool workers, the Board shall frame rules for payment of gratuity to General Pool Workers.

56. Penalties.—A contravention of clause 40 shall be punishable with imprisonment for a period not exceeding three months in respect of a first contravention or six months in respect of any subsequent contravention or with fine not exceeding five hundred rupees in respect of first contravention, or with both imprisonment and fine as aforesaid.

SCHEDULE I

Classes of Unregistered Dock General Pool Workers to which the Scheme applies :—

1. Supervisor.
2. Receipt Clerk.
3. Rigger Foreman.
4. General Purpose Mazdoor consisting of
   (i) Mazdoor.
   (ii) Basket Mender.
   (iii) Trimming Stitcher.
   (iv) Cleaning Mazdoor.
   (v) Net Sling Mender.
   (vi) Carpenter.
   (vii) Rigging Mazdoor.

SCHEDULE II

Principal duties of the various categories of Unregistered Dock General Pool Workers.

1. Supervisor.—(a) To assist Chief Officer Company Supervisor in performance of their duties and to function as Supervisor on behalf of Stevedoring Company.

(b) To allot and extract the work from Dock Labour Boards and General Pool workers and supervise the same.

(c) To act as representative of the Stevedore employers on the ship and to carry out such orders as given to him by Stevedoring Company with regard to Steamer's working.

(d) In particular to work closely with the Receipt Clerk or preparation of working order in each shift and to supervise the loading or unloading of the ship as per the working order and as per instructions of the Stevedore employers or Ship's Officers.

(e) To pay special attention to the proper stowage of cargo as per stowage plan and instructions given by Stevedore employers or Ship's personnel and in the case of an import vessel, to proper handling of cargo with a view to avoiding damages.

(f) To prepare and submit reports against delinquent workers.

(g) To report to the Stevedores or their Agents or Officers of the Board of such development as may crop up during the work in a shift and to receive instructions on any matters in connection with the Stevedoring.

(h) To co-ordinate the work to be performed on the ship along with the Receipt Clerk and to supervise that due attention is being paid by all Supervisory workers for proper, speedy and efficient performance of loading or unloading work.

2. RECEIPT CLERK.—(a) To supervise and be in-chare of all documentation work performed on the ships, such as preparation of Bill of Lading, Manifestation of sheets, Mate receipts and collection of tally sheets.

(b) To remain in touch with Chief Officer and Stevedore employers with a view to finalising stowage plan of cargoes intended to be loaded on the ship and to receive from time to time instructions from the ship's Officers or Stevedore employers of any change in the sotwage for implementation.

(c) On an Import vessel he has to collect the details of cargo on arrival of the vessel and programme discharge in close liaison with the Ship's Officers and Stevedore employers.

(d) To prepare and issue Daily Morning Report of the cargo loaded or unloaded on the previous day along with such other statement as may be required, like list of cargo available each morning with various details and on an Import vessel list of various cargo discharged or to be discharged etc.

(e) To prepare and finalise the Working Order for each shift of work on the ship in conjunction with the Supervisor.

(f) To attend to Steamer Agents and stevedore employers on the ship and provide them with such information as he may be called upon with regard to discharge or loading particulars.

(g) On completion of a Vessel's work to verify and submit all documents to the Ship, Steamer Agents and Stevedore employers as necessary.

3. RIGGER FOREMAN.—(a) To head the Rigging Gang and Cleaning Gang comprise of 7 Riggers (including one Winch Driver) and 10 Cleaning Mazdoors respectively.

(b) To extract the work from these gangs by directing method of operation.

4. GENERAL PURPOSE MAZDOOR.—(a) Cleaning of cargo holds or tanks, bilges, beams, decks, tunnels, alleyways or any other part of the ship required to be cleaned.

(b) Collection of cargo sweepings aboard ships or ashore, filling them in bags or other packings, stitching and removal or handling of same.

(c) Handling, supplying and laying of dunnage wood, atting, pallets or any other cargo seperation media.

(d) Handling of gunny bales (used for supply of empty gunnies for bagging of bulk cargo on board or ashore) including opening of bales and distribution of gunny bags to different work points on board a vessel or in a shed.

(e) Writing by hand or by stencil of import and export packages with stencil or paint mark either on aboard ship or ashore including marking of trimming bags and also sealing damaged and/or repaired packages on board or ashore.

(f) Fixing or dismantling of all temporary wooden or metal structures or fixtures used for stowing or unstowing of cargo.

(g) Gear distribution, collection on board the ship or ashore, levelling of bulk cargo, basket mending and mending, stitching and repair of net slings.

(h) To rig derricks on board the vessels, opening and closing of hatches of mechanised type, lashing cargo, removing and stacking of feeder boards, lashing and unlashing cargo.

(i) Any other work of general nature connected with the loading and unloading operation of a vessel, which is not the schedule work of any other specific category of dock workers, as and when required by the employers.

SCHEDULE III

(See Clause 32)

The minimum number of days in a month for which wages are guaranteed should be assessed annually on the basis of the average employment during the immediately preceding 12 months according to the following procedure :—

(a) The total number of man-shifts worked every month by the Dock General Pool Workers of a particular category in the Pool should be recorded.

(b) The effective strength of Dock General Pool Workers of the aforesaid category in the Pool on all the working days of the month should be recorded.

The effective strength of Dock General Pool Workers in the above mentioned category in the Pool on a particular working day shall be	The number of Dock General pool Workers in the above mentioned category in the Pool listed on that day	Number of Dock General Pool workers in the above mentioned category in the Pool on authorised or unauthorised leave plus number of workers in these categories who died or whose services were terminated on that day

(c) The effective strength of listed Dock General Pool workers in the above mentioned category on all the working days in a month obtained under (b) above should be added up and divided by the number of working days in the month to yield the effective strength of these workers during the month.

(d) Item (a) should be divided by item (c) to yield the average employment per worker per month in this category.

(e) The average obtained under (d) above for 12 consecutive months should be added up and divided by 12. The average so obtained shall be fixed as the minimum guarantee for the next 12 months for this category.

For clarification, an example is given below:—

Suppose that an assessment is made in July 1986 and suppose the effective strength of listed Dock

General Pool workers in the Pool and the man-shifts worked by them during the period July 1985 to June 1986 are as shown under Columns (2) and (3) of The Table below:—

TABLE

Month	Effective Strength	Total No. of manshifts worked	Average Employment per worker per month (Shifts)
1	2	3	4
July 1985	500	9500	19
August	490	9450	19
September	495	9300	19
October	485	9575	20
November	490	8200	17
December	480	8160	17
January 1986	475	9400	20
February	485	9200	19
March	490	9500	20
April	475	8000	16
May	500	6000	12
June	490	7850	16

Column (3) divided by column (2) will show the average employment per worker per month and this is shown in Column (4) of the Table.

The minimum number of days in a month for which wages should be guaranteed during the period July 1985 to June 1986 will be

$$\frac{19+19+19+20+17+17+20+19+20+16+12+16}{12} = 17.8$$

After round off to the nearest day : 18 days.

Although this average has been calculated for the lowest categories of workers only, it will apply to all the categories of listed Dock General Pool Workers. If a new category is listed the minimum guarantee for this category to start with will be determined as has been provided in the principles relating to the listing of new categories mentioned in Clause 20(4) of the Scheme.

Similar calculation should be made in July, 1987 and thereafter every year. If the average number of days in any year workout to be less than the minimum number of days for which wages have already been guaranteed, the latter number will not be reduced. In other words, the minimum number of days in a month for which wages are guaranteed will progressively increase but will never be decreased.

[File No. LB-13013|5|86-L IV(ii)]
P. V. RAO, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987